हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

2 अप्रैल, 1982

खण्ड 1, अंक 16

अधिकृत विवरण

विशय सूची

भ्ाुक्रवार, 2 अप्रैल, 1982

	पृश्ठ संख्या
स्थगित तारांकित प्र न एवं उत्तर	(16)1
तारांकित प्र न एवं उत्तर	(16)9
नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों लिखित उत्तर	(16)17
मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव	(16)45
नेमिंग आफ मैंबर्ज	(16)46
बैठक का स्थगन	(16)47
सर्वश्री मूलचंद जैन तथा मंगल सैन का निलम्बन	(16)47
ध्यानाकर्शण सूचना निजी गन क्र ारों आदी मे गन्ने की कम कीमत संबंधी	(16)49
वक्तव्य– मुख्य मंत्री द्वारा जिला महेन्द्रगढ़ तथा जिला रोहतक की कोसली तहसील के बहुत ज्यादा पिछड़ेपन तथा गरीबी की	(16)49

हालत होने संबंधी	
नियम 15 के अधीन प्रस्वात	(16)54
नियम 16 के अधीन प्रस्वात	(16)56
बिल्ज–	
(i) दि ईस्ट पंजाब मोलैसिज (कंट्रोल) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1982	(16)55
(ii) दि पंजाब पेसैंजर्ज एंड गुडज टैक्से ान हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1982	(16)56
(iii) दि हरियाणा ऐलिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 1982	(16)57
(iv) दि हरियाणा प्राइवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर आफ मैंनेजमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1982	(16)58
(v) दि पंजाब लैंड रैवन्यू हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1982	(16)59
सरकारी संकल्प–	
हरियाणा राज्य मे भूमि को संसद द्वारा पारित संपदा भुक्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) द्वारा विनियमित किये जाने संबंधी	(16)60

उपाध्यक्ष द्वारा रूलिंग– अध्यक्ष को उनके पद से हटाने के संकल्प संबंधी	16)62
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव– (i) हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) प्रथम सं ाोधन विनियमन, 1981	16)63
सदस्य का नाम लेना	16)63
नियम 84 के अधीन प्रस्ताव– (i) हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) प्रथम सं ाोधन विनियमन, 1981 (पुनरारम्भ) (ii) हरियाणा बीज विकास निगल लिमिटिड की छठी वार्शिक रिर्पोट तथा 1979–80 के लेखे। (iii) हरियाणाा कृशि वि ववविद्यालय, हिसार की वर्श 1979–80 की वार्शिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट (iv) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्श 1981–82 के वार्शिक वित्त विवरण तथा वर्श 1980–81 के परि ाोधित अनुमान (बजट अनुमानो) (v) हरियाणा राज्य बिलजी बोर्ड के वर्श 1977–78 के लेखों के वार्शिक विवरण	16)64 16)64 16)64 16)65 16)65

(vi)	वर्श 1978–79 के लिये हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की प्र ाासन रिपोर्ट	16)65
vii)	31–1–82 तक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिये गए ऋण, जिनकी वापस अदायगी के लिये राज्य सरकार ने गारंटी दी है, को द ार्ाने वाला विवरण	16)65
मंत्रिमण्डल के विरूद्ध अवि वास प्रस्ताव (अप्रस्तुत)		16)65

हरियाणा विधान सभा

भुक्रवार, 2 अप्रैल, 1982

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ मे प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह)

ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः साहिबान, अब सवाल होंगे।

Bhagwat Bhagti Ashram, Rewari

***2826. Comrade Shankar Lal:** Will the Chief Minister be pleased to refer to reply to Starred Question No. 2559 answered on 21-9-81 and State—

(a) the details of buildings and lands at present standing in the name of the Ashram together the places of their location; and

(b) whether any exemption in the matter of land ceiling has been granted to the said Ashram; if so, the reasons therefore?

राज्य मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(क) इस समय उपलब्ध सूचना के आधार पर विवरण सदन के पटल पर अनुबंध पर रखा जाता है,

(ख) विहित प्राधिकारी ने हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 के अधीन अभिनिर्धारित किया है कि भगवत भक्ति आश्रम एक कस्टमरली मान्यता प्राप्त धार्मिक एवं पुण्यार्थ संस्था है, और हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम, 1972 के उपबंध इससे संबंधित भूमि पर लागू नही होते।

अनुबंध

राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि का विवरण जो कि भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा (रिवाड़ी) तहसील रिवाड़ी के नाम है, निम्न प्रकार है:–

क्रं0	गांव का नाम	स्वामित्व	का तकार का नाम	क्षेत्रफल एकड़ों में

1	2	3	4	5
1	रामपुरा	भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा	स्वयं का त 20 एकड़ गैर मुमकिन तथा बंजर 128 एकड़	148
2	जाटुवास	यथोपरि	1. स्वयं का त 2 एकड़ 2. बंजर गैर मुमकिन 21 एकड़ 3. संत परमानन्द हस्पताल 26 एकड़ 4. आर्द ा गौ ाला 23 एकड़	72
3	गोबिन्दपुरी	यथोपरि	बंजर तथा गैर मुमकिन 10 एकड़ (स्वयं का त)	10
4	निखरी	भगवत भक्ति आश्रम, देहेजा	श्री कुश्ण सिंह इत्यादि मोहतमीन बिला लगान 9½ एकड़	9½
5	नंगल पठानी	भगवत भक्ति आश्रम, रामपुरा	देस राज गेर मौरूसी 19 एकड़	19

6	डालियाकी	यथोपरि	1. स्वयं का त 26 एकड़ 2. आद र्ा गौ ाला 37 एकड़ 3. दयानंद गौ ाला 46 एकड़ 4. कन्या पाठ ाला 49 एकड़ 5. संत परमानंद हस्पताल 25 करोड़ 6. ब्लाक समिति (गैर मुमकिन सड़क) 6 एकड़ 7. आबादी देह 5 एकड़ 8. माधो गैरमौरूसी 2 एकड़ 9. मातादीन इत्यादी गैरमौरूसी 4 एकड़ 10. राव बलबीर सिंह सहकारी समिति 2	254

			एकड़ 11. बलवंत गैरमौरूसी 4 एकड़ 12. हरचंद गैरमौरूसी 4 एकड़ 13. मंगतू गैरमौरूसी 2 एकड़ 14. भूपिन्द्र गैरमौरूसी 21 एकड़ 15. कालू गैरमौरूसी 4 एकड़ 16. हरिचंद इत्यादी गैरमौरूसी 7 एकड़ 17. बलवंत गैरमौरूसी 2 एकड़ 18. औंकार इत्यादि गैरमौरूसी 3 एकड़ 19. नारायण ईयादि	

			गैरमौरूसी 5 एकड़	
			कुल जोड़	512½

जहां तक भगवत भक्ति आश्रम के नाम भवनों का संबंध है इस बारे मे सूचना अभी उपलब्ध नही है। इसे प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे है।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, इस सवाल के जवाब मे यह बात कही गई है कि यह कस्टमैंरिली रिकोगनाइज्ड रीलीजियस और चेरीटेबल इंस्टीच्यू ान है जबकि वास्तव मे बात यह है कि इस पर एक परिवार का कब्जा है और उसकी सारी आय उस परिवार को प्राप्त हो रही है। क्या यह बात मंत्री जी की जानकारी मे है ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, यह मेरी जानकारी मे नही है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानता चाहता हूं कि क्या गवर्नमैंट ने प्रैस्क्राइब्ड अथोरटी के आर्डर के खिलाफ कोई अपील की या नही? जैसे डा. मंगल सैन जी ने कहा कि ऐसी सफीि ाएंट एवीडैंस है कि यह जमीन चैरीटेबल रीलीजियस परपज के लिये यूज न हो कर किसी पोलिटिकल नेला

के परिवार के लिये इस्तेमाल हुई है। क्या सरकार प्रैस्क्राइब्ड अथौरिटी के आर्डर के खिलाफ अपील करेगी ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, जब यह प्र ान 30 तारीख को सदन मे आया था उस समय मैंने अर्ज की थी कि इस समय मेरे पास इस बारे मे पूरे तथ्य नही है। स्पीकर साहब, उस दिन आपने आदे ा दिया था कि इस बारे मे सरकार के पास जितनी सूचना आ चुकी है वह सदन मे आ जानी चाहिए और वह सूचना हमने आज दे दी हैं स्पीकर साहब अभी तक मैंने इस संबधं मे पूरे कागजात नही देखे इसलिये यह नही कहा जा सकता कि अपील करनी चाहिए या नही।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब मे जो विवरण दिया है उसमे महर्शि दयानंद गौ ाला के नाम पर 46 एकड़ जमीन दिखाई है ओर कन्या पाठ ाला के नाम पर 49 एकड़ जमीन दिखाई है और भी इसी तरह से केई बाते दिखाई है। महर्शि दयानंद जी जब पहली बार रिवाड़ी आये थे तो उनके नाम पर वह गौ ाला स्थापित की गई थी लेकिन आज जो स्थिति है जिसका मुझे आर्य समाज के एक छोटे से सेवक के नाते पूरी तरह पता है वह यह है कि यह सारी की सारी जमीन राव बीरेन्द्र सिंह के परिवार के नाजायज इस्तेमाल मे आ रही है। इसलिये उस जमीन को लैंड सीलिंग ऐक्ट के के तहत ऐग्जम्पट करना में समझता हूं कि जो महाराश्ट्र मे अंतुले नही कर पाये वह हरियाणा के अंदर यह सरकार राव बीरेन्द्र सिंह के नाम पर करवा

रही हैं यह हरियाणा के अंदर इस सरकार ने भ्रश्टाचार का बहुत बड़ा केन्द्र बना रखा है स्पीकर साहब, 512 एकड़ जमीन को राव बीरेन्द्र सिंह अपने परिवार के नाजायज इस्तेमाल के लिये यूज कर रहे है।

श्री अध्यक्षः स्वामी जी आप स्वाल पूछें।

स्वामी अग्निवे ाः अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है कि जो भाब्द इस्तेमाल किये है ये काफी आपत्तिजनक भाब्द है क्योंकि प्रैस्क्रइब्ड अथोरिटी को सरकार डायरैक ान नही दे सकती इस बात के लिये चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी मेरे साथ सहमत होंगे कि प्रैस्क्रइब्ड अथोरिटी के आर्डर के खिलाफ अगर कोई बात करने होती हे तो कलैक्टर के खिलाफ अपील मे जाया जा सकता है। जैसे मैंने रूाुरू मे कहा था कि हमने अभी तक पूरे कागजात नही देखे है। जो प्रैस्क्राइब्ड अथोरिटी का फैसला है, I cannot comment upon that.

श्री अध्यक्षः मैं मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि क्या आटोमैंटिकली राव रीलीजियस ओर चैरीटेबल इंस्टीच्यू ांज की जमीन लैंड सीलिंग ऐक्ट से एग्जैम्पटिड होती है या इंडिवीजुअल केसिज लिये जाते है ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, कुछ तो ऐसे केसिज है जिनको जाकर खुद ऐग्जम्प ान सीक करनी होती है और कुछ ऐसे केसिज है जिनको ऐग्जम्प ान सीक करने की जरूरत नही

होती। जैसे कस्टमैरिली रिकोग्नाइज्ड रीलीजियस इंस्टीच्यू ंज को ऐसी आव यकता नही होती।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, यह सरकार रोजाना हरिजनों को जमीन बांट कर सोती है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकारयह जो 512 एकड़ जतमीन हे इसको गरीब हरिजनों मे बांटनले का विचार करेगी ? स्पीकर साहब, मंत्री जी खुद भी हरिजन है। मैं चाहता हूं कि यह जमीन एक परिवार का मेढ़ा पालने की बजाय रिवाड़ी के सारे गरीब हरिजनों को बांट दी जाये। क्या यह सरकार इस सारी जमीन का सरप्लस ऐक्ट के तहत हरिजनों को बांटने के लिये तैयार है ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, सरप्लस जमीन को बांटने पर भी ऐग्जैंक्टिव डायरैक ंज जारी नही की जा सकती कि कौन सी जमीन सरप्लस है। परेस्क्राइब्ड अथोरिटी ही इसका फैसला करती है। उसके साथ एक कमेटी बनी हुई होती है वह नियम के अनुसार उसकी अलाटमैंट करती है।

कामरेड भांकर सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यह जो 500 एकड़ से अधिक जमीन है क्या इस किस्म के हरियाणा के अंदर और भी जागीरदार है जिनके पास ऐसी जमीन हो और उनके खिलाफ सरकार ने अपील न की हो ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, सरप्लस के केसिज मे इंडिविजुअल लोग भी अपील मे जाते है ंकई केसिज मे गवर्नमैंट भी जाती हैं हर केस को मैरिट के हिसाब से देखा जााात है। जिस के स कमे सरकार महसूस करती है कि अपील करनी चाहिए जरूर करती है। हर केस अलग अलग अलग होता है। इससे जागीरदारी का कोई संबंध नही है।

चौधरी हरस्वरूप बूराः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पर्टिकुलरली इस केस के अंदर गवर्नमैंट के अलावाक ोइ और भी इडिविजुअल अपील मे जा सकता है ?

Chaudhri Sher Singh: Sir, I am not supposed to know the law.

Mr. Speaker: I would not expect the Hon'ble Minister to know the law.

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मंत्री जी नेे जो ब्यौरा दिया है क्या इससे यह जाहिर नही होता कि इस ट्रस्ट के पास 1968 मे और 1980 केक आद आज तक लगातार रूपया जमरा हुआ है आ बीच मे रूपया जमा नही हुआ। क्या सरकार इस बात की जांच करवायेगी कि जब इस ट्रस्ट के मुखिया मुख्य मंत्री थे जो अब भारत सरकार मे ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर है तााि अपने ओहदे का जाजायज फायदा उठा कर लोगो से रूपया लेकर इस ट्रसट मे जमा करवाया ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब,इसका इस सवाल से कोइ संबंध नही है। यह आश्रम किसी इंडिविजुअल का नही हैं

श्री कंवल सिंहः स्पीकर साहब, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वे ट्रस्टीज के नाम बताएं कि कोन कौन है? दूसरी बात यह बताएं कि क्या ट्रस्ट अपने अकाउंटस सबमिट करता है ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, ट्रस्टीज के नाम तो इस प्र न मे किसी ने नही पूछे। यह ट्रस्ट कोइ एक दो साल से नही बना है। यह 1942 मे पार्टी ान से पहले बना था और लाहौर मे रजिस्टर हुआ था। लाहौर से इस ट्रस्ट के बारे मे कोई कागज नही आए। हमने 1950 मे पता करवाया था। इन्होंने जो जवाब दिया था उसमे लिखा था कि राय बहादुर राव बलबीर सिंह ने इस ट्रस्ट को 1942 मे लाहौर मे क्रमांक 34 पर रजिस्टर करवाया था उसके बाद इसमे मैंबर बदलते रहे होंगे। हमारे पास कोई रिकार्ड नही है।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने बताया कि राव बलबीर सिंह ने इस ट्रस्ट की स्थापना की थी। क्या उस ट्रस्ट ने यह फैसला कर लिया था कि उसक`परिवार का कोई मैंबर इस ट्रस्ट का मैंबर नही होगा ? इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस ट्रस्ट के मैंबर राव बीरेन्द्र सिंह के परिवार के सदस्य है ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, सवाल पूछते समय यह नही पूछा गय कि इस ट्रस्ट के मैंकबर कौन कौन परिवार के है ? I am sorry, Sir, at this time, I am not having this information.

श्री अध्यक्षः यह सवाल ट्रस्ट के मैंबरो से संबधित नही है। मंत्री जी का यह कहना ठीक है कि चूंकि यह सवाल नही पूछा गया था इसलिये ये सूचना नही दे सकते। मैं भी मंत्री जो को इस सप्लीमैंट्री के जवाब के लिये मजबूर नही कर सकता।

चौधरी भोर सिंहः यदि ये पूद लेते कि इस ट्रस्ट के मैंबर कौन कौन है तो हम पता कर लेते।

राव बंसी सिंहः स्पीकर साहब, यह प्र न लगातार तीसरी बार अपोजी ान द्वारा पुछा जा रहा है। मेरे अपोजी ान के मित्र इस पर बार बार सवारल करते है। मैं मंत्री जी से केवल यही जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार के और भी ट्रस्ट है ?

चौधरी भोर सिंहः हमारे पास ऐसी कोई सूचना नही है। अध्यक्ष महोदय, एक ट्रस्ट से तो पीछा छोड़ नही रहे । (हंसी) इतना जरूर है कि इस प्रकार के बहुत सारे ट्रस्ट हिन्दुस्तान भर मे है। लेकिन यही संख्या क्या है, उसका मालूम नही।

श्री जय नारायण वर्माः अभी इन्होंने बताया है कि राव बलबीर सिंह इस ट्रस्ट के फाउंडर मेंबर थे। डीड के मुलाबिक उनकी यह भार्त थी कि उनकी फैमेली कार कोई आदमी इस ट्रस्ट

का मैंबर नही बनेगा। जब ये इस प्रकार की इंफर्मे ान लाहौर से मंगवा सकते है तो यह क्यों नही बता सकते कि इस ट्रस्ट के कोन कौन मैंबर इस समय है ? दिल्ली मे बैठा हुआ एक आदमी इसको मिसयूज कर रहा है। (ाोर)

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, यह प्र न पूछा नही गया था।

श्री अध्यक्षः इतना लम्बा सवाल नही पूछना चाहिए। छोटा सवाल तो पूछा जा सकता है लेकिन आप तो डिटेल मे बहुत सारी भार्त कहने लग गये है, यह ठीक नही है।

श्रीमती डा. कमला वर्माः स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहती हूं कि इस आश्रम की वि ोशताएं क्या क्या है ? क्या इस आश्रम के अंदर कोई कन्याएं पढ़ती है या इसमे कोई संस्कृत विद्यालय है। मेरे पूछने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि इस आश्रम को किस लिये प्रयोग किया जाता है?

चौधरी भोर सिंहः जिस जिस काम के लिये प्रयोग हो रहा है, वह लिस्ट साथ दी है।

चौधरी गंगा रामः स्पीकर साहब, इन्होंने बताया है कि यह ट्रस्ट 1942 मे बना है इसलिये मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि 1942 के बाद इस ट्रस्ट के नाम कितनी जमीन किसके नाम कौन से सन् मे आई ओर इस अ्रस्ट के नाम आज कुछ कितनी जमीन है ?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, अभी मैंने बताया था कि यह ट्रस्ट 1942 मे बना था। पिछली बार भी यह प्र ान पूछा गया था। हमने उद्योग विभाग से सूचना भी मांगी थी कि इस ट्रस्ट के पास क्या प्रौपर्टी है, कितनी बिल्डिंग है ? उन का जवाब आया कि यह आश्रम भारतीय सोसायटीज रेजिस्ट्रे ान ऐक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत है। और उन्होंने यह सूचना दी कि उनके पास इस बारे मे कोइ सूचना नही है तथा इस ऐक्ट के अधीन पंजीकृत सोसायटीयों को रजिस्ट्रार आफ फर्मज तथा सोसायटीज हरियाणा को ऐसी सूचना नही होती। (विघ्न)

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, इस ट्रस्ट के पास 512½ एकड़ जमीन बताई गई है। इस जमीन मे से आद र्ा गौ ाला के पास 37 एकड़, दयानंद गौ ाला के पास 46 एकड़, कन्या पाठ ाला के पास 42 एकड़ ओर संत परमानंद हस्पताल के पास 25 एकड़ जमीन है। इसलिये मैं सरकार से जानना चाहती हूं कि क्या कभी इस ने देखा है कि इन का सही यूज हो रहा है? क्या कभी इसने यह देखने की कोि ाश की है कि कन्या पाठा ाला मे कितनी लड़कियां पढ़ती है, गौ ाला मे कितनी गउएं है और परमानंद हस्पताल मे कितने मरीज है ?

चौधरी भोर सिंहः यह सूचना मेरे पास नही है।

Mr. Speaker: I do not think that the Minister will be able to reply this question now. It will requite further notice.

श्रीमती सुशमा स्वराजः स्पीकर साहब, इन को यह तो पता होना चाहए कि वहां पर काम ठिक प्रकार से हो रहा है और उसका कोइ मिसयूज नही हो रहा। यदि कोइ मिसयूज हो रहा है तो क्या कोई काय्रवाही की गई है?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, इस ट्रस्ट के बारे मे सरकार के पास कोई ि ाकायत नही आई कि वहां पर मिसयुज हो रहा है। दूसरे धर्म के मामलों मे सरकार कोई हस्तक्षेप भी नही कर सकती। यदि कोई ि ाकायत होती तो इन्हे बताना चाहिए था। बहन जी वहां पर 20 चक्र लगा चुकी है। हमारे पास कोई ि ाकायत नही आई।

श्री हुकम सिंहः हरियाणा मे जितनी भी धार्मिक संस्थाएं है उन सब पर लैण्ड सीलिंग ऐक्ट लागू है। क्या कारण है कि इस ट्रस्ट पर लैंड सीलिंग ऐक्ट लागू नही है?

चौधरी भोर सिंहः स्पीकर साहब, कई धार्मिक या पुणयार्थ संस्थाओं को हरियाणा भूमि जोत की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972 की धारा 5—क मे छूट दी गई है। वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं। किसी न्यायालय या प्राधिकरण के किसी निर्णय, बिक्री या आदे ा के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिन से तुरंत पहले विद्यमान, सार्वजनिक स्वरूप की किसी धार्मिक या पुण्यार्थ संस्थाकी भूमियों

को लागू नही होंगे, किन्तु ये भूमियां उसके महंत, महोतमिम या प्रबंधक की नही होनी चाहिए।

परंतु इसमे वि ोश रूप से बताई गई छूटें, केवल उस समय तक ही अदुज्ञेय होंगे जब तक भूमि या उससे हुई आय ऐसी संस्था के वि ोश रूप से बताये गये प्रयोजनो के लिये उपयोग की जाती है और ऐसी भूमि के पटटेदारो को नही मिल सकेगी।

परंतु यह ओर कि भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत, या सिख गुरूद्वारा अधिनियम 1925 (1825 का पंजाब अधिनियम 81) वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 का संसद अधिनियम 29) जेसे किसी कानून द्वारा विनियमित या रूढ़ि द्वारा मानयता प्राप्त संस्थाओं की भूमि है। छूट का दावा करने वाले व्यक्ति पर होगा।

तारांकित प्र न एंव उत्तर

Food for Work

***2637. Chaudhri Ude Singh Dalal:** Will the Minister for Development and Panchayats be pleased to state the names of villages, if any, in Rohtak District whee the persons who worked under the “Food for Work” scheme during the last two years have not so far been paid their dues?

विकास मंत्री (राव दलीप सिंह): जिला रोहतक मे कोई ऐसे वि ोश केस सरकार के ध्यान मे नही लाये गये जिनमे इस योजना के अधीन पिछले दो वर्शो मे, व्यक्तियों को उन द्वारा किये गये कार्यो की मजदूरी न दी गई हो। किन्तु गांव माण्डोठी मे वर्श 1978–79 का एक विवाद ग्रस्त मामला है जिसमे राज्य चौकसी विभाग द्वारा जांच की जा रही है।

चौधरी उदय सिंह दलालः स्पीकर साहब, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया है कि मांडोठी गांव का केस विजिलैंस के पास इंक्वायरी के लिये पड़ा हुआ है। मैने स्पीकर साहब इस बारे मे चार चिटिठयां मुख्य मंत्री जी को लिखी, कई चिटठयां राव राम नारायण जी को लिखल और कई चिटिठयों राव दलीप सिंह जी को लिखी कि मांडोठी गांव मे चार सौ आदमी ऐसे रह गये है जिनको अनाज नही मिला है। उन्होनें इस स्कीम के तहत काम किया है। ओवरसीयर और बी.डी.ओ. का तस्दीक ुदा मस्टर रोल वहां मौजूद है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस इंक्वायरी का निपटारा करवा कर कितने दिनों के अंदर अंदर उन लोगों को उनकी दिहाड़ियों का अनाज दिलवा देंगे ?

राव दलीप सिंहः स्पीकर साहब, मांडोठी गांव एक बहुत बड़ा गां है। वहां फूड फार वर्क प्रोग्राम के तहत 8 जगह काम किया गया है ओर 160073 रूपये की पेमैंट कर दी गई है। 8 जगहों मे से 7 जगह पेमेंट हो चुकी है और एक जगह का 62 बोरियों की पेमैंट अभी करनी है। 62 बोरियां लेने के लिये गांव

वालें इंकार करते है। वे कहते है कि 713 बोरियां लेने के लिये गांव वाले इंकार करते है। वे कहते है कि 713 बोरियां लेंगे। चौधरी उदय सिंह दलाल जी ने आदयणीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा था। मुख्य मी जी ने उस पर तुरंत यह लिखा कि इस मामले की जल्दी से जांच करवा कर भीघ्र निपटारा किया जाये। डी.सी. ने जुनीयर इंजीनियर और एस.डी.ओ., पी.डब्ल्यू.डी (पंचायतस) से काम की असैसमैंट करा जांच कराई। इन्होंने लिखा कि 62 बोरियों की पेमेंट बाकी है। वहां एक बनी सिंह नाम का नाम का व्यक्ति है। वह कहता है कि 713 बोरियां चाहिए। हमने अब यह फैसला किया है कि 62 बोरियां तो वहां तुरंत दे दीं जाएं औरबाकी की कार्यवाहीं चौकसी विभाग से रिपोर्ट आने के बाद मे जायेगी।

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, मांडोठी गांव के केस का मंत्री जी ने बड़े बिस्तर से जवाब दिया है। क्या ये बतायेंगे कि फूड फार वर्क की योजना के अंतर्गत इस वर्श हरियाणा मे कितना अनाज आरक्षित रखा गया है?

राव दलीप सिंहः स्पीकर साहब, इसके लिये यदि माननीय सदसय सैपरेट नोटिस दे तो ठीक रहेगा।

श्री ई वर सिंहः स्पीकर साहब, यह काम के बदले अनाज की योजना अब बंद कर दी गई है। क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार इस योजना को दुबारा चलाने का विचार कर रही है ?

राव दलीप सिंहः स्पीकर साहब, यह योजना दिसम्बर 1980 तक चलती रही है। उसके बाद यह पैसा ने ानल रूरल ऐम्पलायमैंट स्कीम के माध्यम से खर्च होता है।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलूः स्पीकर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सवाल पर 5 मिनट से ज्यादा समय न लगाया जाये क्येांकि मेरा सवाल जो आगे आ रहा है वह बड़ा इम्पौर्टैंट है।

सरदार सुखदेव सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानता चाहूंगा कि यहां फर्जी मसटर रोल बनाकर पेमैंट लेने का धंधा चल रहा है वहां उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी जो इस काम को कर रहे है? * *

* * *

चौधरी उदय सिंह दलालः * * * *

*

श्री अध्यक्षः कुछ रिकार्ड न किया जाये। (विघ्न) कृपया बैठ जाइये। आर्डर प्लीज। मैं आप सबसे रिक्वैस्ट करूंगा कि इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगाने से हाउस की भाोभा नही बढ़ती है। (विघ्न) अगर कोई भी गलत बात कहेगा तो उसको चैक करना मेरा फर्ज है, मैंबर्ज का फर्ज नही है। अगर हाउस को आप लोग स्वयं ही चला सकते है तो आप यहां बैठ सकते है ओर मैं रिटायर हो जाता हूं। (विघ्न)

चौधरी बीरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, फूड फार स्कीम के तहत सारे हरियाणा मे काम हुआ था । मंत्री महोदय ने यह बताया कि दिसम्बर 1980 से यह स्कीम बंद हो गई है लेकिन बहुत से ऐसे गांव है, पंचायतें है जहां गरीब लोगों, ने, गरीब हरिजनों ने काम किया है, उनके मस्टर रोल भी ठीक है, बी0डी0ओ0 भी मानता है कि काम ठीक किया गया है परंतु फिर भी उन्हें न तो अनाज मिला और न ही पैसा मिला है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अगर ये उस स्कीम के तहत पैसे नही दे सकते, अनाज नही दे सकते, तो क्या विभिन्न ब्लौक्स को ये डारैक्ट करेंगे कि उनको इस काम की पेमैंट दे दी जाये या अनाज दे दिया जाये?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह): स्पीकर साहब, फूड फार वर्क या एन0आर0ई0पी0 स्कीम के तहत जो भी पैसा आता है वह राजस्व विभाग को आता है। राजस्व विभाग ही इस पैसे को प्रत्येक जिले मे बांटता है फिपर नीचे के लैवल पर यानी ब्लाक लैवल पर गांव मे फूड फार वर्क की स्कीम के तहत काम होता है। जब यह स्कीम चालू हुई उस समय आर्डर थे कि हर गांव मे पांच सौ बोरी गेहूं का काम करवाया जायेगा। इस तरह से काफी अच्छा काम हुआ। हमने टारगेट 500 बोरी तक का रखा था। किसी गांव मे 200–300 बोरी का काम किया और कई पंचायतों ने पांच सौ बोरी से भी ज्यादा का काम कर दिया। ब्लाक लैवल से कई जगहों के बारे मे ि ाकायतें आयी कि काम कम हुआ है। जहां भी

काम होता है वहां की चैकिंग होती होती है। पंचायत डिपार्टमैंट के ऐक्सीयन एस0डी0ओ0 आदि चैंकिंग करते है। रेवेन्यू डिपार्टमैंट भी चैकिंग करवाता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कई गांव की ि ाकयत की कि पेमेंट नही हुई। अब हमने एन0आर0ई0पी0 स्कीम के तहते केवल मिटटी डालने का काम नही सौंपा है बल्कि गली पक्की करने, लैट्रीन बनवाने और हरिजनों की अधूरी पड़ी हुई चौपालों को बनवाने कार भी प्रोग्राम बनाया हैं जहां पर पेमेंट नही हुई वह के लिये हम सहानुभूति विचार कर रहे है। वह बता दें, हम पेमेंट करवा देंगे।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी ने काफी डिटेल मे जवाब दिया है। चौधरी वीरेन्द्र सिंह जी का सवाल यह था कि जब फूड फार वर्क का प्रोग्राम लागू हुआ तो जो ा के अंदर डिप्टी कमि ानर, एस0डी0ओ0 और बी0डी0ओ0 ने बरवली इंस्ट्रक ान दे दी कि जोहड़ खोद दो, बांध बना दो और गलियों मे मिटटी डाल दो लेकिन उसके बदले मे जो अनाज मिलना था वह नही मिला। यह काम गरीब कुम्हारों ने किया था। अब मैंबर साहब यह पूछ रहे है कि जिनका पैसा बकाया पड़ा है वह कब तक पेमेंट करेंगे ?

राव दलीप सिंहः स्पीकर साहब, जैसा कि अभी कहा गया कि ऐसी ऐग्जाम्पलज आयी है। जहां पर भी मिटटी डाली गई है और पेमेंट नही हुई, अगर वहां से कोई ि ाकायत आयेगी तों उसकी पेमेंट अब भी करेंगे।

श्री मूल चंद जैनः क्या हिदायते जारी हो चुकी है ?

राव दलीप सिंहः ये हिदायतें पहले से ही है। जिन लोगों ने काम किया है और वह बेरिफाई हो गया है, अगर उनकी पेमेंट पहले नही हुई होगी तो अब करेंगे।

श्रीमती सुशमा स्वराजः अध्यक्ष महोदय, मैं विकास मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जिन लोगों ने काम किया उन्हे तो अनाज मिल गया परंतु जिन डिपों होल्डर्ज ने अनाज दिया उनकी पेमेंट आज तक नही हुई, इसका क्या कारण है? रोहतक जिले मे बहादुरगढ़ के डिपो होल्डर ने अनाज दिया था परंतु वहां का बी0डी0ओ0 उनसे नाराज है। दो साल हो गये परंतु पेमेंट नही हुई। क्या विकास मंत्री महोदय उस डिपो होल्डर को पेमेंट दिलाने की कोि ा ा करेंगे ? ऐसा एक केस नही है बल्कि कई केसिज है। दो दो साल से पैसे रूके पड़े है। जिस बी0डी0ओ0 ने पेमेंट रोकी हुई है वह चौधरी मेहर सिंह राठी का खास आदमी है। इसलिये क्या सरकार गरीब डिपों होल्डर्ज को पेमेंट करवायेंगी ?

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): यह बड़ा अहम सवाल है। यह ठीक बात है कि फूड फार वर्क स्कीम के तहत बरीब आदमियों से काम करवाया गया था। काम के बदले मे अनाज भी मिला। भारत सरकार ने यह स्कीम चालू की थी लेकिन अब अनाज देना बंद कर दिया गया है। जहां कीं भी काम होगा अनाज भारत सरकार नही देगी। चावल हमारे पास पड़ा है। चावल उन्हें दिया

जायेगा ताकि अपने बच्चों का पेट वे पाल सके। जहां कहीं भी काम हुआ और पेमेंट नही हुई है, वहां सब जगह पेमेंट कर दी जायेगी। (ाोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्षः एक सवला पर केवल दस पंद्रह मिनट का ही समय दिया जा सकता है। इसलिये मैंबर साहेबान से रिक्वैस्ट करूंगा कि वे घड़ी का ख्याल रखे। दस पंद्रह मिनट के बाद पांच दस मैंबर खड़े हो जाते है, इसलिये मैं सब को टाईम नही दे सकता।

Promotion of Inspectors, Stage Masters of Drama Party

***2643. Ch. Sant Kanwar:** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) the criteria, if any prescribed for the promotion of Inspectors. Stage Masters and Artists of Drama Party of the Public Relations Dept. Haryana;

(b) whether appointment to the posts of D.P.R.Os and P.R.Os. are made by promotion: and

(c) the number of posts of D.P.R.Os and P.R.Os. if any, which are filled up though Public Service Commission together with the number of posts; if any filled up from the field staff of the said department?

ि ाक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती भांति देवी):

(क) तीन वर्श का अनुभव रखने वाले नाटक निरीक्षक गीत एवं नाटक अधिकारी (अराजपत्रित) के पद पर पदोन्नति के पात्र थे परंतु गीत एवं नारटक अधिकारी का दजार्र उप निदे ाक (गीत व नाटक) के राजपत्रित पद पर बढ़ा दिया गया है। नाटक निरीक्ष्राकाकें को मं,ख सहायक के पद पर पदोन्नति के लिये नयमों मे व्यवस्था करने हुतु सरकार विचार कर रही है। मैट्रिक पास स्टेज मास्टरों तथा कलाकारों (ड्रामा पार्टियों के एक्टर, हारमोनियम मास्टर तथा तबला मास्टर) ड्राम निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति के पात्र है। इसके अतिरिक्त वे पांच वर्श की सेवा के प चात क्लार्को के पदो पर पदोन्नति के पात्र है।

(ख) जी हां। हरियाणा लोक सम्पर्क (राज्य सेवा श्रेणी–II) नियमावनी, 1975 मे किए गये उपबंधों के अनुसार जिला लोक सम्पर्क अधिकारियो/लोक सम्पर्क अधिकारियों के पद क्रम I: 2 : 1 के अनुपात से पदोन्नति तथा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते है।

(ग) जिला लोक सम्पर्क अधिकारियों तथा लो सम्पर्क अधिकारियों के 23 पद है। 14 पद पदोन्नति द्वारा और पांच पद हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भती/स्थानांतरण द्वारा भरे गये हैं आकी के पदो को भरने का मामला सरकार के विचाराधीन है। हरियाणा लोक सम्पर्क (राज्य सेवा श्री–II) नियमावली, 1975 के अंतर्गत क्षेत्रीय मामला नाम जैसा कोई भा।द नही हैं ऐसा पदोन्नतियां पात्र अमले मे से ही की जाती हे, चखहे

वे मुख्यालय मे निदे ाालय मे काम करते हो अथवा क्षेत्रीय कार्यालयों मे काम कर रहे हो।

चौधरी संत कंवरः अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने बताया कि स्टेज मास्टर, कलाकानर और टैक्नीकल आदमी पदोन्नति कबे पात्र है। मैं मंत्रखी महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आज तक महकमे के `किसी आदमी को पदोन्नत कियसार गया है ? क्या यह बात भी सयी है कि केकवल हैड आफिस मे जो लोग बैठे है औक्र स्टेज पर काम करना भी नही जानते, उन्हें पदोन्नत किया गया और जो नीचे का स्टाफ है उन्हे इग्नोर किया गया है? क्या यह बात भी सही है कि ि ाक्षा विभाग के एक टीचर को, जिसका इस विभाग का कोई तजुर्बा नही है, डी0पी0आर0ओ0 बना दिया गया है ?

श्रीमती भाांति देवीः इसमे कोई सत्यता नही हैं बिल्कुल नियमानुसार प्रमोंश्ज्ञन होती है अगर कोई व्यक्तिगत मामला भाई संत कंवर जी के नोटिस मे हो तो ये उसे हमं बतएं, हम एग्जामिन कर लेंगे।

श्री अध्यक्षः मैं भी इस बारे मे एक बात कहना चाहूंगा कि जो लोग संपर्क विभाग की ड्रामा पार्टीज है, उनको मैंने दो तीन दफा देखा है। वह बहुत बढ़िया काम करती है। लेकिन एक बात की उनमे कमी है। उनमे जोकर (क्लाउन) कोई नही है। (व्यवधान व भाोर) यह बात मैं मजाक की तरह से नही कर रहा

हूं। पिछली दफा जब गवर्नर साहब के यहां पर ड्राम हुआ था तो मैंने यह नोटिस किया था कि डांसिंग पार्टी के आदमी बार बार आते रहते है जिसकी वजह से वे पसीना पसीना हो जाते है। अगर उनमे कोई जोकर हो तो उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है। (व्यवधान व भाोर)

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या कोइ ऐसी ि ाकायत आई है कि किसी मंत्री ने इनकी पब्लिक रिले ांज अफसर, भिवानी जो कि महीला है के साथ बलात्कार करने की कोि ा ा की है ? अगर आयी है तो क्या वे उस मंत्री का नाम बताने का कश्ट करेंगी ?

श्रीमती भांाति देवीः स्पीकर साहब, ऐसी निराधार बात माननीय सदसय को इस सदन मे नही करनी चाहिए। यह आरोप निराधार है।

श्री हीरा नंद आर्यः स्पीकर साहब, यह स्टेटमैंट अखबारो मे भी आयी थी कि किसी एक मंत्री ने वहां की महीला अधिकारी के साथ बलात्कार करने की कोि ा ा की है। अगर इनके पारस ि ाकायत नही आई है तो मुख्य मंत्री के पास ि ाकायत आयी होगी। क्या मंत्री महोदय इस बारे मे बताने का कश्ट करेंगे कि यह बात सत्य है ? क्या उस मंत्री महोदय का नाम भी बताने का कश्ट करेंगे ?

Mr. Speaker: This is beyond the scope of this question.

श्री देवी दासः स्पीकर साहब, क्या मंत्री महोदया यह बताहने का कश्ट करेगी कि एक ड्रामा क्लब मे कितने सदस्य होते है और सारे हरियाणा मे कुल कितने ड्रामा पार्टीज है ? उनमे से कितने हारमोनियम और छोलक बजाने का कार्य करते है और उनकी क्या कया क्वालीफिके ान है ? (व्यवधान व भाोर)

श्रीमती भाांति देवीः अध्यक्ष महोदय, ड्रामा पार्टी मे एक ड्रामा इंस्ट्रक्टर, एक स्टेज मास्टर, एक हारमोनियम मास्टर और एक तबला मास्टर होता है। उनके साथ 5 एक्टर होते है। (व्यवधान व भाोर)

श्री सुरेन्द्र सिंहः स्पीकर साहब, मैं आपके जरिये इस सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं। आपने जो कुछ गवर्नर साहब के सयहा देखा उस के बारे मे आपने अपने कुमैंटस दे दिय लेकिन मैंने तो अपनी 30–35 साल की आयु मे कई बार आदमी नाचते देखे है। आपके जो आई0ए0एस0 अफसर डायरैक्टर लगाये हुए है, वे नही जानतू हकि आदमी नही नाचते क्योंकि वे इस बात को नही जानते कि हरियाणा की कल्चर क्या है। आदमियों को स्टेज पर नही नाचना चाहिए।

श्री अध्यक्षः यह तो आपका सुझाव है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये इस महकमे मे कोई एउेसा अफसर लगाने के लियसे तैयार है जो हरीयाणा की कल्चर कको अच्छी तरह से प्रोडयूस कर सके?

श्रीमती भाांति देवीः स्पीकर साहब, हरियाणा का जो एक सांग बहुत म ाहूर है वह है लख्मी चंद का सांग, उसमे व्यक्ति ही नाचते है। (व्यवधान व भाोर)

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब मे यह कहा है कि मैंबर साहब ने जो बात कही है, यह बिल्कुल असत्य है। अध्यक्ष महोदय, रिवाड़ी मे जो ए0पी0आर0सी0 लगया हुआ है, वह महकमे का आदमी नही बल्कि उसे सीधा ही अफसर लगाया हुआ है। क्या यह बात सत्य नही है ? अगर वह कहें तो मैं नाम भी बता सता हूं । @ @ @ @ नाम का जो अदमी आपने रिवाड़ी मे ए0पी0आर0ओ0 लगाया हुआ है, उसको कोइ तजुर्आ नही है बल्कि उसको सीधे ही अफसरी लगाया हुआ है।

श्री अध्यक्षः मैं मैंबर साहब, से रिक्वैस्ट करूंगा कि यहां पर किसी अफसर का नाम नही लेना चाहिए। This may be expunged. (Interruptions & Noise).

चौधरी संत कंवरः स्पीकर साहब, मंत्री महोदय एक तरु तो यह कह रही है कि आर्टीस्ट और ड्रामा मास्टरों को प्रोमोट

करके लगाया जाता है दूसरी तरफ मैं आपको सही बता रहा हूं कि ए0पी0अर0ओ0 रोहतक सीधा ही लगाया हुआ है ंक्या यह इन पदों पर प्रोमो ान द्वारा नियुक्ति करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती भांति देवी: स्पीकर साहब, इन्होंने एक अफसर का नाम बताया है कि वह सीधा ही लगा हुआ है, उसके बारे मे यह हमें खिलकर भेज दें। हम उसको ऐग्जामिन करवाने के बाद इसका जवाब दे देंगे। (व्यवधान)

श्री हीरा नंद आर्य: * * * *

Mr. Speaker: Nothing will be recorded.

Cement Received in the State

***2841. Sh. Surender Singh:** Will the Minister for Food & Supplies be pleased to state—

(a) the total quantity of cement which the State government received from 1st April, 1981 to date; and

(b) the quantity of cement out of the quantity referred to in part (a) utilized in connection with the construction of State Govt. Projects?

Food & Supplies Minister (Shri Lachhman Singh):

(a) total receipt of cement in the State From 1-4-81 to 28-2-82.

468996 tonnes

(b)(i) Quantity of cement utilized in connection with the construction of State Govt. Projects

175161 tonnes

(ii) Quantity of cement utilizsed by Govt. Boards & Corporation etc.

19719 tonnes

Total 271880 tonnes

श्री सुरेन्द्र सिहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो सीमेंट कार्पोरे ांज, बार्डज और सरकार ने इस्तेमाल किया है उसके अलावा जो सीमेंट डिस्टीब्यूट हुआ उसका क्या पैमाना है ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, इनका क्वै चन बहुत ही सिम्पल था। इन्होंने पूछा था कि कितना सीमेंट आया और कितना गवर्नमैंट के पौजैक्टस मे लगा मै तो इनको बड़ा काबिल समझता था। पहले तो मैं समझ ही नही पाया कि इनका मुददा क्या है.....(व्यवधान)

Mr. Speaker: I would request the Minister not to use such words.

श्री वीरेन्द्र सिंहः स्पीकेर साहब, इनकी काबलियत का नमूना तो यह है कि आठ सौ टन सीमेंट एक लेडी को पानीपत मे दिया है। (व्यवधान व भाोर)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, जरूरत के अनुसार सीमेंट दिया जाता है । (व्यवधान व भाोर)

श्री लछमन सिंहः पब्लिक के अंदर 47 हजार टन पर क्वार्टर दिया जाता है अगर ज्यादा सीमेंट होता है तो ज्यशदा दे दिया जाता है।

डा. मंगल सैनः स्पीकर सहाब, कुल सीमेंट इनके पास आया 468996 टन और 271880 टन सीमेंट गवर्नमैंट प्रोजैक्टस पर खर्च हुआ। बाकी रह गया 197116 टन सीमेंट । इन्होंने अभी बताया है कि 47 हजार टन पब्लिक के अंदर बांटा जाता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बाकी का सीमेंट किसको देते है, उसको कौन बांटता है ओर उसका क्या काईटैरिया है ?

श्री लछमन सिंहः 1.4.82 से 2.4.82 तक 138230 टन सीमेंट पब्लिक सेल मे डिस्ट्रब्यूट हुआ है।

श्री वीरेन्द्र सिंहः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कि इंडिविजुअल्ज को सीमेंट देने का क्या काईटेरिया है ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, साठ परसैंट सीमेंट हम विलेजिज मे देते है और वह सीमेंट बी0डी0ओ0 के थ्रू बंटता है। चालीस परसैंट सीमेंट अर्बन एरियाज मे दिया जाता है। डिसिटक्अ हैउक्वाटर्ज पर डी0एफ0सी0 के थ्रू और जहां सब डिविजन है वहां

पर एस0डी0एम0 के थ्रू दिया जाता है। सीमेंटी का डिस्टीब्यू ान का काईटेरिया बवेलेबिलिटी पर डिपेंउ करता है।

चौधरी रणसिंह मानः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कि इस 468996 टन सीमेंट मे से मिनिस्टर महोदय ने अपने डिस्की ानरी कोटे मे से कितना सीमेंट इंडिविजुअल्ज को बेचा।

श्री लछमन सिंहः हर क्वाट्टर मे एक हजार टन दिया गया है और पिछलजे क्वालटर मे 1500 टन बच गया था लेकिन वह लोगो को मिला नही क्योंकि सीमेंट आया नही।

श्री भले रामः क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो दो लाख टन के गरीब सीमेंट बच गया इसमे से गांव वालों को कितना दिया और भाहर वालो को तिना दिया ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, अभी मै।ने बताया है कि सीमेंट की बवेलेबिलिटी पर डिस्टीब्यू ान डिपैंड करता है। वैसे हम साठ परसैंट सीमेंट गांव वालों को देते है और चालीस परसैंट भाहर वालो को देते है।

चौधरी गुलजार सिंहः मंत्री महोदय ने बताया है कि साठ परसैंट सीमेंट गांव वालों को बी0डी0ओ0 की मरफत दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बी0डी0ओ0 की मारफत कितना सीमेंट गांव वालो को दिया गया और कितना

सीमेंट भाहर वालों को दिया गया और कितना सीमेंट नीजि तौर पर दिया गया ?

श्री लछमन सिंहः एक कागज पर लिख दिया है। हिसाब निकाल लो।

श्री लहरी सिंह मेहराः मंत्री महोदय ने बताया है कि चालीस परसैंट सीमेंट भाहर मे किदया जाता है और साइ परसैंट गांव लोलों को दिया जाता है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि कि जो कांस्टीचुऐंसी या इलाके ऐसे पड़ते है जहां पर भहार ही पड़ते नही है वहां का चालीस परसैंट सीमेंट कहा जाता है ? स्पीकर साहब, जब भाहर लगते ही नही है तो सौ परसैंट सीमेंट गांव वालों को जाना चाहिए ?

श्री लछमन सिंहः स्पीकर साहब, ऐसा तो कोई एरिया नही होगा जहां टाउन न लगता हो। तकरीबन हर जगह पर कोई न कोई टाउन जरूर लगता है।

श्री अध्यक्षः साहेबान, क्वै चर आवर खत्म होता है।

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्र नों के

लिखित उत्तर

Construction of Rana majra Nawada Road

***2832. Shri Mool Chand Jain:** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether the construction work on Rana Majra Nawada Rad, in tehsil Panipat, has been started; if so, the present stage of construction thereof; and

(b) the time by which aforesaid road is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (कंवर रामपाल सिंह):

(क) जी हां। इस सडक के आधे किलोमीटर पर मिटटी का कार्य किया जा चुका है तथा 2 किलोमीटर लम्बाई पर स्टोन सोलिंग इकटठी की जा चुकी है।

(ख) फिलहाल इस सडक के निर्माण कार्य को पूण करने का निि ाचत समय बताना संभव नही है।

Haryana Roadways depot at Sirsa

***2676. Shri Bhagi Ram:** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) the date on which Roadways depot was set up in district Sirsa dna whether any Bus stand has been constructed there;

(b) whether there is any proposal unde consideration of the Govt. to construct a bus stand at Fatehabad; and

(c) if so, the time, by which the aforsaid Bus stand is likely to be constcuted?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) सिरकसा डिपो दिनांक 1.4.78 को आरम्भ किया गया था। वर्तमान बस अडडा विभाग द्वारा बनाए गए अस्थाई भोडज मो कार्य कर रहा है।

(ख) फतेहाबाद मे बस अडडे का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।

(ग) पहले ही पूर्ण हो चुका है।

Social Studies Teachers in the State

***2688. Ch. Jagjit Singh Pohloo:** Will the Minister for Education be pleased to state the district wise number of Social Studies Teachers in the State as have put in a continuous service of at least ten years to gether with the number out of those who have not so far been confirmed?

ि ाक्षा मंत्री (चौधरी देस राज): वाछित सूचना निम्न प्रकार से है:–

जिले का नाम	मास्टरज / मिस्ट्रैसिज की संख्या जिनका 10 वर्श का सेवा अनुभव	एस0एस0 मास्टरज / मिस्ट्रैसिज जिनको अभी तक स्थाई

	है ।	नही किया गया है ।
अम्बाला	418	125
कुरूक्षेत्र	314	76
करनाल	364	108
सोनीपत	217	148
रोहतक	547	78
गुड़गांव	181	61
नारनौल	321	63
जींद	63	39
हिसार	282	160
सिरसा	113	50
फरीदाबाद	229	30
भिवानी	454	170
कुल	3503	1108

Buses of Haryana Roadways involved in Accidents

***2705. Sh. Fateh Chand Vij:** Will the Minister for Transport be pleased to state—

(a) the total number of accidents of the buse of Haryana Roadways occurred during the years 1981 and 1982 to date separately;

(b) wheterh any enquiry was conducted it he castes of accidents mentioned in part (a) above and; if so, total number of accidents occurred due to mechanical defects int he nbuses or due to overtaking of the buses by the drivers;

(c) whther any punishments were imposed on such mechanies who handsed over the buses to the drivers without prior checking their machinery and; if so, the punishments imposed in each case and, if not, the reasons thereof;

(d) whether those drivers who caused accidents due to over taking of the buses were punished and; if so, what punishment was imposed on them and if not, the reasons thereof; and

(e) the number of such accidents in which both the buses coming from opposite direction were of Haryana Roadways i.e. Haryana Roadways bu collided with Haryana Roadways bus?

परिवहन मंत्री (श्री जगन नाथ):

(क) 451 दुर्घटनाएं 1981 मे तथा 80 दुर्घटनाएं 28.2.82 तक।

(ख) हां, तीन दुर्घटनाएं तकनीकी त्रुटियों के कारण हुई तथा 29 ओवर टेकिंग के कारण।

(ग) एक मकैनिक की दो वार्शिक वृद्धियां बंद की गई और दो मकैनिकों के विरूद्ध जांच चल रही है।

(घ) एक चालक की दुर्घटना मे मृत्यु हो गई, पांच चालको की सेवाएं भंग कर दी गई, 22 चालकों के विरूद्ध विभागिय जांच चल रही है जिनमे से 14 चालक निलम्बित तथा एक चालक की एक वार्शिक वृद्धि बंद कर दी गई है।

(ड़) बारह।

Allotment of Land of Dhobi Ghat

***2755. Dr. Mangal Sein:** Will the Minister for Local Govt. be pleased to state—

(a) whether thew Govt. has allotted/auctioned the land of Dhobi Ghat or adjacent to it falling in the limits of Municipal Committee, Rohtak in the year 1982, if so, name of the person to whom the said land was allotted/auctioned;

(b) if the land was acutioned the number of persons who gave bid together with the name of the place where the auction was held;

(c) whether any complaint of the washermen has been received by the Govt. against this deal; and

(d) if so, the action if any taken thereon?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(ए) नगरपालिका, रोहतक की सीमा मे स्थित धोबी घाट के साथ लगती कोई मतरूका भूमि वर्श 1982 मे अलाट या नीलाम नही की गई। यद्यपि धोबी घाट के साथ लगती 658 वर्ग गज भूमि श्री मेहरू के वारिस श्री रत्न सिंह को वर्श 1981 मे अलाट की गई थी।

(बी) जिस भूमि का उल्लेख उक्त भाग (ए) मे है, नीलाम नही की गई थी।

(सी) इस बारे मे धोबियो की एक ि ाकायत पुनर्वास विभाग मे 19.2.82 को प्राप्त हुई थी।

(डी) इस से पूर्व पुनर्वास विभाग द्वारा डिस्पलेस्ड परसंज (सी0 एण्ड आर0) एक्ट, 1954 की धारा 33 के अंतर्गत वित्तयुक्त राजस्व एंव सचिव, हरियाणा सरकार, पुनर्वास विभाग के सम्मुख उक्त भाग (ए) मे वर्णित अलाटमैंट को रदद करने हेतु एक रैफरैंस दिनांक 10.2.82 को किया गया था।

Allotment of plts in the Urban Estates

***2767. Sh. Mool Chand Mangla:** Will the Minister for Finance be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the Govt. has laid down a policy to allot only one plot to one erson/family in Urban Estates;

(b) if reply to part (a) above be int he affirmative whether it has come to notice of the Govt. that one person/family has been allotted more than one plot by giving false affidavit together with the number thereof; and

(c) if so, the action taken against such persons who have been allotted more thanone plots by giving false affidavit?

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ीद अहमद):

(क) नही।

(ख) एक से अधिक प्लाट नियतन करने के लिये झूठा भापथ पत्र देने बारे कोई ि ाकायत सरकार के ध्यान मे नही आई है।

(ग) लागू नही होता।

Cases of Unfair Means

***2800. Sh. Lehri Singh Mehra:** Will the Minister for State for Education be pleased to state—

(a) the total number of cases of unfair means during examination framed against the students of 3 years diploma in various trades by the Board of Technical Education, Haryana during the year 1978-79 to 1980-81;

(b) that total number of cases out of those referred to in para (a) in which the answer books have been replaced;

(c) the number of officials and officers involved in the replacement, if any, of the answer books as referred to in para (b) and;

(d) the action, if any, taken against the delinquent officials/officers?

ि ाक्षा राज्य मंत्री(श्रमती भाांति देवी):

(क) सूचना इस प्रकार है:—

1978—79 = 12

1979—80 = 18

1980—81 = 51

(ख) 28

(ग) संख्या अभी नही बताई जा सकती क्योंकि मुआमले की तहकीकात अभी निर्दे ाक चौकसी विभाग द्वारा की जा रही है।

(घ) आगे कार्यवाही तभी की जा सकती है जब चौकसी विभाग की तहकीकात पूरी हो जाये।

Custodian Land in District Ambala

***2869. Smt. Dr. Kamla Verma:** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) the total area of sustodian land at present in Ambala District together with the area of the said land sold during the last three years; and

(b) the names of persons to whom it was sold and the amount realised therefrom?

राजस्व मंत्री (चौधरी भोर सिंह):

(ए) अम्बाला जिला मे दिनांक 28.2.82 को विभिन्न किस्मों का कुल मतरूका रकबा जो निपटान हेतु उपलब्ध था, नीचे दिया जाता है:—

ग्रामीण मतरूका भूमि		भाहरी मतरका भूमि	
का त स्टैण्डर्ड एकड़ों मे	बंजर साधारण एकड़ों मे	गैर मुमकिन साधारण एकड़ों मे	भाुद्ध निकासी साधारण एकड़ों मे
287	2062	1545	117

विभिन्न प्रकार का कुल मतरूका रकबा जो 28.2.82 तक पिछले तीन वर्शो मे बेचा गया, वह निम्नलिखित अनुसार है:—

ग्रामीण मतरूका भूमि		भाहरी मतरका भूमि	
का त स्टैण्डर्ड एकड़ों मे	बंजर साधारण एकड़ों मे	गैर मुमकिन साधारण एकड़ों मे	भाुद्ध निकासी साधारण एकड़ों मे
312	191	219	33

(बी) उक्त भाग (ए) मे वर्णित भूमि 432 व्यक्तियों को बेचजी गई है। उन से 28.2.82 तक भूमि की कीमत के रूप मे 1242987 रूपये की वसूली की गई है जबकि कुल उच्चतम बोली की रा ि ा 3674161 रूपये बनती है। खरीदारों के नाम उपबंध 'क' मे दिये गये है।

उपबंध 'क'

अम्बाला जिला मे पिछले तीन वर्शो मे 28.2.82 तक जिन व्यक्तियों कोू मतरूका भूमि बेची गई, उच्चतम बोली तथा जो रा ि ा उनसे वसूल की गई, की सूची।

तहसील जगाधरी

क्रं0	क्रेता का नाम	उच्चतम बोली	रा ि ा जो प्राप्त हुई

		(रूपयों में)	(रूपयों में)
1	नसीरू,सफरू, मेहरदीन पुत्रान छोटू	400	400
2	अली मोहम्मद, भोर मोहम्मद पुत्रान मीन दीन	100	100
3	लक्ष्मण सिंह पुत्र आत्मा राम	7100	7100
4	चित्तर पुत्र बारू	2700	2700
5	रत्ना राम पुत्र फोजी	4300	540
6	गुर प्रका ा सिंह पुत्र बुध सिंह	350	350
7	बुध राम पुत्र माम राज	6000	6000
8	दलाल पुत्र कुलिया	13000	13000
9	छज्जू पुत्र रन्गु राम	200	200
10	बीर कौर पत्नी इंदर सिंह	6050	6050
11	हरबंस पुत्र दिदार सिंह	5100	5100
12	कुन्दन राम पुत्र जेठा राम	1775	1775
13	बरकत पुत्र जापू	550	550
14	बाकू राम पुत्र नौराता	9600	9600

15	पवन कुमार आदि पुत्रान सूरज भान	2000	2000
16	पवन कुमार आदि प9त्रान सूरज भान	8800	8800
17	सतपाल पुत्र मं ाा राम	1025	1025
18	सतपाल पुत्र मं ाा राम	1000	1000
19	सतपाल पुत्र मं ाा राम	3050	3050
20	अमर नाथ, सतपाल पुत्रान रिखी राम	3300	3300
21	सुरजीत, गुरनाम पुत्रान सौंपू	15600	1950
22	गंगा राम पुत्र तेलू	11500	1415
23	चेतू पुत्र दीवाना	4000	400
24	फजल दीन पुत्र अलावादीन	2200	2200
25	करतारा पुत्र नंदू	5900	74
26	सुबादीन, रफीक आदि पुत्रान अली बेग	1200	1200
27	करतार सिंह आदि पुत्रान देवी दित्ता	2200	2200
28	रूड़ा राम पुत्र संत सिंह	950	950
29	राम सिंह पुत्र कुन्दन	8200	1025

30	किरपा राम पुत्र कोना राम	12750	1600
31	साधू सिंह पुत्र कोना राम	11000	1390
32	साधू सिंह पुत्र बख्तावर सिंह	3750	3750
33	बचना राम पुत्र रखा राम	1100	1100
34	मोहम्मद सदिक पुत्र रहमत	2100	2100
35	फूलचंद पुत्र मुकंदी	12200	12200
36	जंग भोर पुत्र निजाम दिन	1500	1500
37	सुरता राम पुत्र भांकर	15000	1875
38	सुमेर चंद पुत्र साधू राम	20500	2565
39	फकीर चंद पुत्र छज्जू	260	260
40	जय सिंह पाला राम पुत्रान तुलसी	1800	1800
41	हरी सिंह पुत्र बकार सिंह	5100	5100
42	बलदेव सिंह पुत्र बंचिंत सिंह	1650	1650
43	किरपाल पुत्र संत सिंह	1600	1600
44	साफी पुत्र जामू	1800	1800

45	बाबू राम पुत्र संत राम	1600	1600
46	मनी राम पुत्र तेज राम	9100	9100
47	गुरमेल सिंह पुत्र कुंदन राम	850	850
48	राम चंद पुत्र सीता राम	2300	2300
49	सरदा राम पुत्र सीहू	300	300
50	माम चंद अमी चंद पुत्र लक्ष्मण	2400	2400
51	रसीद अली पुत्र अब्दुल रजाक	75	75
52	अदरी ा आदि पुत्रान दीन मोहम्मद	100	100
53	अदरी ा आदि पुत्रान दीन मोहम्मद	75	75
54	फतेह मोहा पुत्र हीकम राए	120	120
55	लक्ष्मण दास पुत्र बसाखा राम	3000	3000
56	बनारसी दास पुत्र कुरू राम	310	310
57	जय पाल, मान सिंह पुत्रान केवल राम	4300	540
58	अंतु पुत्र मंगू	48000	4800
59	राम दिया पुत्र फागू	48000	4800

60	कुंदन पुत्र बुचचा	37350	3755
61	तेलु राम बजीरा	16000	1600
62	रणबर सिंह पुत्र गुरसेवा सिंह	10000	1250
63	प्रम चंद पुत्र भानू राम	525	525
64	आत्मा राम पुत्र कुदंन	31000	31000
65	जागीर सिंह पुत्र बारू राम	24100	24100
66	विद्या धन पुत्र कि ान चंद	500	1500
67	रिखी राम पुत्र अमर सिंह	6000	6000
68	रंगील सिंह पुख सरबन सिंह	3550	3550
69	रघबीर भारण पुत्र संत राम	3600	3600
70	रहम नवाज पुत्र खुर ीद	10000	10000
71	पन्नी राम पुत्र फत्ता राम	16500	2065
72	राम धारी पुत्र भांकर	12600	1575
73	लक्ष्मी पुत्र अंतु	3600	450
74	जय सिंह पुत्र बख्तावर सिंह	16000	2000

75	मोती राम आदि पुत्रान सोंकू	10100	—
76	मुख्तयार कौर पत्नी जोगिन्दर सिंह	8000	1000
77	भाम ोर कोन पत्नी सुखदेव सिंह	8000	1000
78	मुख्तयार कौर पत्नी जोगिन्दर सिंह	6000	750
79	जरनैल सिंह पुत्र परमात्मा सिंह	10600	1325
80	अमीचंद पुत्र गंगा राम	18000	18000
81	बाबू राम पुत्र हुक्म चंद	300	300
82	कृश्ण पुत्र अंतु	13100	1640
83	यासीन, भूरा पुत्रयान कुटका	900	900
84	रतीया पुत्र नत्थु	4600	475
85	साधू राम पुत्र मुखराम	4500	4500
86	मलखान पुत्र आ ाा राम	500	500
87	हरपाल पुख देवी दयाल	7600	7600
88	मंगता राम पुत्र मूला राम	1700	1700
89	बधवा राम पुत्र चांबू राम	1800	1800

90	नूरदीन पुत्र करीनू दीन	11000	11000
91	फकीरिया पुत्र चूड़ा	1700	1700
92	करतार सिंह पुत्र निहाल चंद	21000	2620
93	जागीर सिंह पुत्र ईसर सिंह	7000	875
कालका तहसील			
94	तीरथ सिंह पुत्र रंगीन सिंह	5000	5000
95	करण चंद पुत्र धन्नू राम	13000	13000
96	अमर चंद पुत्र गरीबू राम	1000	1000
97	गिरधारी पुत्र संत राम	800	800
98	गुरदीत सिंह पुत्र जल्ला राम	10000	1250
99	गुरदीत सिंह पुत्र जल्ला राम	5000	625
100	बालू राम पुत्र गोकल	4600	600
101	ओम प्रका ा पुत्र चंदा राम	20200	27525
102	बनवारी पुत्र मं ी	2000	2000
103	रिखी राम पुत्र बेली राम	3500	3500

104	हिरदा राम पुत्र सोदी राम	3600	3600
सढौरा तहसील			
105	केहर सिंह पुत्र बुध राम	4600	4600
अम्बाला (अ)			
106	भाोरी लाल पुत्र गोविंद राम	9500	9500
107	मं ाराम पुत्र आया राम	10600	10600
108	लोहा राम पुत्र हीरा नंद	10600	10600
109	रूप चंद पुत्र मायाराम	10600	10600
110	राजे ा कुमार,त्र गुल ान कुमार पुत्रान सतपाल	21600	21600
अम्बाला तहसील			
111	हरिंदर सिंह पुत्र हरचरण सिंह	800	800
112	रघबीर सिंह पुख रूला	1300	1300
113	धर्म पाल पुख भगत राम	17000	1125
114	स्वरानी पत्नी गुरदेव राम	20000	2500
115	भगत राम पुत्र लाभू राम	29000	3625

116	इंन्द्रा पत्नी संत राम	29000	3625
117	राम बासरा पुत्र भगत राम	21000	2625
118	सोहन लाल पुत्र भगत राम	15000	1875
119	राधे सिंह पुत्र बागी सिंह	2700	2700
120	बचनाराम पुत्र मु ी राम	2200	2200
121	गरदीरा सिंह पुत्र पाल सिंह	800	1000
122	सरूप सिंह पुत्र सोडे	22000	2750
123	सरूप सिंह पुत्र सोडे	6000	750
124	सोहाबा सिंह पुत्र भगत सिंह	6000	6000
125	जागीर सिंह आदि पुत्र बंता सिंह	5500	5500
126	पाल सिंह पुत्र बचन सिंह	1400	1400
127	प्रभू राम आदि पुत्र मातू	18100	2265
128	लक्ष्मण दास पुत्र रूलिया राम	1200	1200
129	देव राज पुत्र केहर सिंह	3200	3200
130	गुरदीत सिंह पुत्र पाल सिंह	8500	1065

131	फूल चुद पुत्र नौराता राम	12000	1500
132	बुध राम पुत्र गोपाल सिंह	11200	1400
133	फकीरा पुत्र सधा राम	5700	5700
134	सुरीन्द्र पाल पुत्र बंचिंत सिंह	1250	1250
135	नानक राम पुत्र नंदू राम	17000	2125
136	श्रीमती पदमा पत्नी देव दत्त	12300	12300
137	चुन्नी लाल पुत्र किरपा सिंह	20100	2515
138	दया राम पुत्र किरपा राम	1500	1500
139	चुन्नी लाल पुत्र किरपा सिंह	5000	625
140	दया राम पुत्र किरपा राम	8000	1000
141	महिन्द्रर सिंह पुत्र फतेह सिंह	18000	1800
142	जगत सिंह पुत्र माल सिंह	1600	1600
143	गोबिंद सिंह पुत्र फतेह सिंह	8300	1840
144	अंतु राम पुत्र भजनू	1500	1500
145	मारूता राम पुत्र जीवना	15481	15481

146	संत सरण पुत्र चूड़ा राम	26000	3250
147	क मीरी लाल पुत्र हरी राम	6000	750
148	जसवंत सिंह पुत्र सरवन	33000	4425
149	धर्म चंद पुत्र बैसाखी राम	12000	12000
150	भाम ोर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह	16000	2000
151	भोर सिंह पुख आसा राम	16000	16000
152	चमन लाल पुत्र बिहारी लाल	21000	21000
153	ओम प्रका ा पुत्र दीप चंद	19000	2375
154	बनारसी दास पुत्र निहाल राम	16000	2000
155	संत सरण पुत्र चूडा राम	22700	2840
156	माया देवी पुत्री बुधा राम	22000	2750
157	माया देवी पुत्री बुधा राम	16000	2000
158	लाल राम पुत्र बुधा राम	26600	3325
159	मेहर चंद पुत्र भांकर	6000	6000
160	कर्म चंद पुत्र फतू राम	16000	2000

161	इंद्र राम पुत्र भूला राम	23500	2940
162	छितरू पुत्र सोलर	10600	10600
163	जोरा सिंह पुत्र जगत सिंह	2600	2600
164	सत्या देवी पुत्री मोहिन्द्र सिंह	4200	525
165	मामकौर पत्नि रामपल	7000	875
166	परस राम पुत्र मुख राम	1000	1000
167	बाली राम सपुत्र बनारसी दास	12000	1500
168	छतरू सुपुत्र मामरा	24500	3065
169	रंजीत सिंह पुत्र सिंधु	16500	2065
170	जीत राम पुत्र मंगत राम	15000	1875
171	किजोरी लाल सपुत्र सिंधु	24200	3025
172	सोम दत पुत्र मि ी राम	23100	2900
173	राज कुमार पुत्र बि ान राम	28600	3575
174	मुनी लाल पुत्र अंतु	24000	3000
175	गुलजार सिंह पुत्र चेत राम	30000	3750

176	अजमेर सिंह पुत्र बदामा	7000	900
177	राम नाथ पुत्र कूरा राम	,5000	5000
178	सरदूल सिंह पुत्र जेथन सिंह	1400	1400
179	देव सिंह पुत्र पंजाबा	21000	2625
180	अजीत सिंह पुत्र खरदर सिंह	4200	4200
181	रजिन्द्र सिंह पुत्र मोरूला	12000	1500
182	अजीत सिंह पुत्र खडे सिंह	3300	3300
183	बुध सिंह पुत्र नौराता	18500	1320
184	बालक सिंह पुत्र सावन सिंह	21000	2625
185	पूर्ण चंद पुत्र जोती चंद	31000	3900
186	करम चंद पुत्र फत्तू राम	3450	435
187	करम चंद पुत्र फत्तू राम	6600	825
188	जगत सिंह पुत्र वधावन	1250	1250
189	प्रेम सिंह सपुत्र सरदारा राम	16500	2065
190	प्रेम सिंह सपुत्र सरदारा राम	12000	1500

191	आत्मा राम पुत्र छज्जू राम	1250	1250
तहसील नारायणगढ़			
192	प्रीतम सिंह पुत्र प्रभुराम	1000	1000
193	गजेन्द्र पुत्र जवाहर	3000	3000
194	मोहिन्द्र पुत्र अमरजीत सिंह	4000	4000
195	राम सरूप पुत्र कि ाना	4500	4500
196	फूल सिंह पुत्र ि ाव राम	10200	10200
197	सरन सिंह पुत्र हुक्मा	250	250
198	फकीर चंद पुत्र मांगा	300	300
199	जूम्मा इत्यादि पुत्र वजीरा	300	300
200	कालू इत्यादि पुत्र रामदीन		
201	खेल सिंह पुत्र दीवान सिंह	1350	1350
202	हरी सिंह पुत्र दरबारा सिंह	60	60
203	काला राम पुत्र लछमण सिंह	4650	4650
204	चरण सिंह पुत्र मंसा सिंह	8500	1065

205	दीवान चंद इत्यादि	4000	4000
206	दीवान चंद इत्यादि	2800	2800
207	किरपाल चंद पुत्र मेला राम	4000	4000
208	किरपाल चंद पुत्र मेला राम	5500	690
209	सांवल राम पुत्र हीरा राम	350	350
210	नौराता राम पुत्र चुड़िया राम	10000	1250
211	राम सरूप पुत्र कृश्ण लाल	21000	2626
212	मालू राम पुत्र जीवना	40000	5000
213	बीर खान पुत्र नानक	36000	4500
214	ओम प्रका ा पुत्र बीरू	9500	1190
215	अमरजीत लाल पुत्र बचना राम	26000	3250
216	परस राम पुत्र बेला	2500	2500
217	ज्ञान सिंह पुत्र पूर्ण सिंह	1800	1800
218	बहादुर सिंह पुत्र भाग सिंह	1350	1350
219	भूपिन्द्र सिंह पुत्र काला सिंह	2800	2800

220	जोगिन्द्र सिंह पुत्र जीवन सिंह	600	600
221	करनैल सिंह पुत्र फौजा सिंह	450	450
222	धन सिंह पुत्र दयाल सिंह	1500	1500
223	दियाल सिंह पुत्र सुंदर सिंह	6100	6100
224	बचना राम पुत्र प्रभु राम	15200	1900
225	अमरजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह	5925	5925
226	बलवंत सिंह पुत्र जगजीत सिंह	1450	1450
227	सुंदर सिंह पुत्र जय सिंह	2800	2800
228	बलवान सिंह पुत्र गोपाल सिंह	800	800
229	जयराम सिंह पुत्र कंहैया	8500	8500
230	नत्थू राम पुत्र जोगी राम	14500	14500
231	भाम ोर सिंह पुत्र जफी	7000	375
232	मनजी कौर पत्नी हरनाम	3800	3800
233	कृपा राम पुत्र हरनाम	4193	4193
234	भंगीराम पुत्र मनोहर लाल	10200	1275

235	बलवंत सिंह पुत्र जगत सिंह	2100	2100
236	करतार चंद पुत्र प्रेम चंद	17000	17000
237	सुच्चा सिंह पुत्र सावन	22500	2815
238	लेखराम पुत्र ज्योतिराम	1950	1950
239	मंगताराम पुत्र झाजूराय	19000	2015
240	इंद सिंह पुत्र ध्यान सिंह	10100	10100
241	लाला राम पुत्र लछमन सिंह	10600	10600
242	उदयराम पुत्र आसारा	2350	2350
243	वर्मा पुत्र आत्माराम	800	800
244	फूल सिंह पुत्र चमेला राम	1500	1500
245	देसराज पुत्र दयाल राम	3000	3000
246	जीतराम पुत्र बीरू राम	3500	3500
247	गुरचरण सिंह पुत्र भोला	5600	5600
248	सुरेन्द्र पुत्र बडीया सिंह	1900	1900
249	मुं ाी पुत्र रफीक	3700	3700

250	कुंदन लाल पुत्र छोटा	750	750
251	जयसिंह पुत्र अर्जनसिंह	150	150
252	सुखदेव सिंह पुत्र हितसिंह	4000	4000
253	हरभजन सिंह पुत्र चरण सिंह	2000	2000
254	ि ावराम आदि पुत्रान के ाोराम	600	450
255	देसराज पुत्र रिखी	300	300
256	देसराज पुत्र रिखी	1650	1650
257	साहिबदीन पुत्र कुतबा	15400	15400
258	सुवादीन पुत्र आदि	1800	1800
259	मेहंगा सिंह पुत्र हरेहरद	2100	2100
260	तुलसी राम पुत्र जोती राम	1000	1000
261	मामराज पुत्र जोगिन्द्र सिंह	8000	1000
262	जगीर सिंह पुत्र मं ाराम	9200	1140
263	गिरधारी लाल पुत्र वालकी राम	6000	7500
264	बचनाराम पुत्र कुंदन राम	15000	1875

265	दयाल पुत्र गरीबूराम	7000	875
266	अवतार सिंह पुत्र लाल सिंह	5500	5500
267	सरदारी लाल पुत्र ई ार दास	6000	750
268	सरदारी लाल पुत्र ई ार दास	32000	4000
269	लखा सिंह पुत्र लेहणा सिंह	800	800
270	नूर मुहम्मद पुत्र रेहमत	1700	1700
271	मुखत्यार पुत्र नानक	7500	940
272	वेद सिंह पुत्र परमानंद	17000	2125
273	हुकम सिंह पुत्र गोपाल	15200	1900
274	भाम ोर पुत्र नानक	12500	1570
275	पूर्ण मल पुत्र चुनी लाल	16000	2000
276	ओप प्रका ा पुत्र भांकर लाल	23000	2875
277	रवैल कौन पत्नी बलदेव सिंह	12000	1500
278	अमरजीत कौर पत्नी बलदेव सिंह	5400	675
279	गुलामदीन पुत्र खैर दीन	5000	5000

280	कैम दीन पुत्र सरफदीन	3500	3500
281	फकीरा पुत्र कृपाराम	20000	2500
282	गुलाम दीन पुत्र उमरसिंह	2500	2500
283	जवंतरा राम पुत्र बि ाना राम	8400	8400
284	खजान चंद पुत्र हीरा राम	4200	4200
285	देसराज पुत्र चेतराम	450	450
286	तेजाराम आदि	3250	3250
287	परसा पुत्र दूनी चंद	2400	2400
288	लक्ष्मण सिंह पुत्र कपूर	1400	1400
289	कुन्दन पुत्र छोटा	2200	2200
290	भीतल सिंह पुत्र बचन सिंह	6000	1000
291	भीतल सिंह पुत्र बचन सिंह	5400	675
292	नौरनता पुत्र रूलिया	5400	5400
293	किरसन पुत्र छाजु	36500	4565
294	उधा राम पुत्र आसा राम	2000	2000

295	भान कौन पत्नी भांकर	3700	3700
296	रघबीर सिंह पुत्रा खेमराज	313	313
297	बाबूराम पुत्र	4200	4200
298	चमेला राम पुत्र नंदू	675	675
299	देवी दयाल पुत्र निहालू राम	18000	2250
300	सुरेन्द्र सिंह	1025	1025
301	जीमूदीन पुत्र मंगला	3500	3500
302	माजदीन पुत्रा बरखू	6500	6500
303	बाबू राम पुत्र दलीप सिंह	38500	1065
304	रतन लाल पुत्रा बचना राम	25100	3140
305	सावित्री देवी पत्नी हंसराज	34000	4250
306	तेजेन्द्र किसं पुत्र द र्ान	1500	1500
307	पुन्नूराम पुत्र वधवा	4500	4500
308	ओम प्रका ा पुत्र कां ीराम	525	525
309	ओम प्रका ा पुत्र कां ीराम	1500	1500

310	हंसराज पुत्र ज्ञानचंद	3200	3200
311	मातू राम पुख कां ी राम	1700	1700
312	प्रीतम सिंह पुख आशा	2600	325
313	देकवी दयाल पुत्रा निहाला	15500	1940
314	हरबंस सिंह पुत्र प्रीतम	6000	6000
315	राजेन्द्र कुमार आदि	10500	1315
316	अुतु राम पुत्र माना	9000	1125
317	जोगिंदर सिंह पुत्र स्वरूप सिंह	4000	4000
318	जोगिंदर सिंह पुत्र संत सिंह	8000	8000
319	मथरा दास पुत्रा जेठा राम	6000	750
320	बालिंदर सिंह पुत्र अर्जून	20500	2565
321	जयसिंह पुत्र मंगता	15500	1940
322	गरभू पुत्र जमना राम	21000	2625
323	जालवंती पत्नी माम चंद	10000	1250
324	साधू राम पुत्रा मंगला दास	400	400

325	गरभू पुत्र झंडू राम	6500	6500
326	अजमेर सिंह पुत्र हरी राम	6000	6000
327	सरदारी पुत्र अमरीचंद	1600	1600
328	रो ान लाल पुत्र मातू राम	520	520
329	रारायण पुत्र राधा राम	2800	2800
330	हरकि ान 9पुत्र महे ा दास	150	150
331	सूरजन पुत्रा छोटू	6000	750
332	रूपा पुत्र बारू	1100	1100
333	प्रेम दास पुत्रा पूरन चंद	5000	525
334	गोपी राम पुत्र बारूराम	6000	750
335	लाभ चंद पुत्र अर्जन दास	1600	1600
336	स्वरन राम पुत्र नानक	9000	1125
337	राधा पुत्र पूरन	8000	1000
338	गेरू पुत्र भांकर	4000	500
339	बलदेव सिंह पुत्र पंजाब सिंह	4000	500

340	बलदेव सिंह पुत्र पंजाब सिंह	8000	1000
341	ओप प्रका ा पुत्र दलीपा	3800	3800
342	मथरा सिंह पुत्र पर ू सिंह	4000	500
343	बीर भान पुत्र स्वरूप सिंह	10000	1250
344	जगीरा पुत्र स्वरन राम	15000	1950
345	ओम प्रका ा पुत्र स्वरन राम	6000	1500
346	निराता राम पुत्र किरपा राम	16500	1265
347	अजीत सिंह पुत्र काला सिंह	1000	1000
348	लखी राम पुत्र गोबिन्द	24000	3000
349	प्यारा लाल पुत्र गतनपत राम	45500	5690
350	महेन्द्र सिंह पुत्र बरयाम सिंह	9000	2250
351	निर्मल सिंह पुत्र करनैल सिंह	1450	1450
352	अली निवास पुत्र अल्ला दिया	800	800
353	रतन सिंह पुत्र पूरन सिंह	1250	1250
354	रहमत पुत्र रहमान	1400	1400

355	राजेन्द्र सिंह पुत्र गुर प्रका ा	8200	1025
356	गुरनाम सिंह पुत्र पूरन सिंह	16200	2025
357	कली राम पुत्र तुलसी राम	20100	2520
358	देवी चंद पुत्र गोकल	5400	675
359	देवी चंद पुत्र गोकल	4200	525
360	गोपी राम पुत्र बारू राम	9500	1190
361	भाम ेर सिंह पुत्र नानक	23000	2975
362	प्रेम दास पुत्र पूरन	9000	1130
363	बाबू राम पुत्र नारायण	7600	950
364	लछमन पुत्र रला राम	8400	1050
365	आजाद सिंह पुत्र वालायती राम	5000	625
366	बलदेव सिंह पुत्र पंजाब सिंह	4500	575
367	अमर नाथ पुत्र वालायती राम	7000	875
368	कर्म सिंह पुत्र मुं ाी	350	350
369	बरखा राम पुत्र काहल	1200	1200

370	सुच्चा सिंह पुत्र हर चंद बुध राम पुत्र छितरू	300	300
371	बुध राम पुत्र छितरू	675	675
372	महेन्द्र कुमार पुत्र मामराज	9200	9200
373	सफी मोहम्मद भााहजादा	4600	4600
374	प्रीतम सिंह पुत्र जेठा राम	3000	3000
375	महंगा राम पुत्र जरनेल सिंह	250	250
376	हरबंस सिंह पुत्र प्रीतम सिंह	180	180
377	रूप सिंह पुत्र बाबू राम	3000	3000
378	गजा सिंह पुत्र जयमल सिंह	1100	1100
379	कन्हैया पुत्र रती राम	1600	400
380	के ाो पुत्र रोड़ा	1000	1000
381	साधू पूत्र नोरा	1300	1300
382	राम स्वरूप पुत्र भांकर राम	13300	13300
383	नौराता पुत्र रोहला	5000	5000
384	मंहगा पुत्र दित्ता	3400	3400

385	गंडा सिहं पुत्र कथा सिंह	5000	5000
386	गुरदयाल सिंह पुत्र खड़क सिंह	16000	2000
387	माडू पुत्र सोभा सिंह	200000	2500
388	मूल चंद पुत्र दूनी चंद	22000	2750
389	सरवण पुत्र सांधी	53000	5375
390	गंगनो राम पुत्र भांकर राम	12000	1500
391	तूले पुत्र सरजू	6600	6600
392	परमजीत सिंह पुत्र ई ार सिंह	4050	4050
393	खजान सिंह पुत्र निहाल चंद	1100	1100
394	सज्जन सिंह पुत्र राम लाल	2150	2150
395	सरदार सिंह पुत्र दीवान सिंह	325	325
396	सहीर चंद पुत्र नीरू	3100	3100
397	रणधीर सिंह पुत्र दीवान सिंह	22000	2000
398	प्रीतम सिंह पुत्र बचन सिंह	17400	2175
399	बंता सिंह पुत्र लाभ सिंह	10000	1250

400	दर ान लाल पुत्र गणपत राम	24000	24000
401	माम दीन पुत्र करीम बख्भा	2500	2500
402	मंगत राम पुत्र रूलिया राम	3000	375
403	श्रद्धा राम पुत्र श्री राम	375	375
404	अजमेर सिंह पुत्र कालू राम	15000	1875
405	कुंदन सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह	825	825
406	ओम प्रका ा पुत्र श्रवण राम	12000	12000
407	देवा नंद सपुत्र गोकल	4500	565
408	सिकन्द लाल पुत्र राम लभाया	5000	5000
409	चरणजीत सिंह पुत्र जसमेर	14000	14000
410	बालक राम पुत्र राम सिंह	10100	1270
411	अमर सिंह पुत्र ि ाव राम	50	50
412	नसीब सिंह पुत्र रघबीर सिंह	300	300
413	नसीब सिंह पुत्र रघबीर सिंह	5100	5100
414	इन्द्र सिंह पुत्र पाला सिंह	5800	5800

415	सुमेर चंद पुत्र साधू राम	40500	5070
416	नाहर चंद पुत्र तेलू	26500	3325
417	जनक राज पुत्र माघी राम	13000	1625
418	आत्मा राम पुत्र रूलिया राम	800	800
419	बुन्दधा पुत्री भजन सिंह	2800	2800
420	जगीर सिंह पुत्र संत सिंह	1450	1450
421	मुकंद लाल पुत्र गोकल	15000	15000
422	गुरदयाल सिंह पुत्र मुं ाी	3200	400
423	श्रद्धा राम पुत्र खब्बन राम	12400	1550
424	ओप प्रका ा पुत्र नहेतू	8000	1000
425	खोता पुत्र दोलत राम	1200	1200
426	बी0आर0 लाल पुत्र राम फल	15000	3750
427	ओम प्रका ा पुत्र श्रवण	2500	2500
428	बी0एस0 यादव पुत्र वक्त सिंह	14500	3625
429	ओम प्रका ा पुत्र मेहर चंद	3000	3000

430	ओम प्रका ा पुत्र मेहर चंद	2500	2500
431	तेलू पुत्र नूरदीन	4000	4000
432	वलायती राम पुत्र पुन्नू राम	4100	4100
		3674161	1342987

Beating up of a Professor of G.M.N. College, Ambala

***2904. Master Shiv Parshad:** Will the Minister for Home be pleased to state—

(a) whether any F.I.R. has been registered by the Principal of G.M.N. College, Ambala on 6-2-82 in regard to the beating up of a Professor of his college; and

(b) if so, the action, if any taken thereon?

गृह मंत्री (कन्हैया लाल पोसवाल):

(क) हां, श्री एम0 के0 जैन प्रोफैसर, जी0 एम0 एन0 कालेज, अम्बाला कैंट की एक ि ाकायत जो उस कोलेज के प्रधानायार्य द्वार ाप्रबंधक थाला अम्बाला कैंट को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेशित की गई थी पर दो व्यक्तियों के विरूद्ध मुकदमा नं0 90 दिनांक 11.2.82 धरा 448/506 भाःदःसः थाना, अम्बाला छारवनी दर्ज किया गया था।

(ख) देविन्द्र पाल सिंह जिका नाम एफ0 आई0 आर0 मे लिखाया गया था ने सै ान जज, अम्बाला भाहर से 13.2.82 को (Anticipatory) अग्रिम जामनत करा ली थी। उसको बार जमानत गिरफतार किया गया और तफतीश मे भागिमल किया गया थां केस की तफती ा अभी चल रही है।

मंत्रिमण्डल के विरू; अवि वास प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः आनरेबल मैम्बर्ज, मुझे कौंसिल आफ मिनिस्टर्ज के खिलाु नो कांफीडैंस का मो ा न डाक्टर मंगल सैन, बाबू मूल चंद जैन, श्रीमती सुशमा स्वराज तथा 25 अन्य विधायकों की ओर से प्राप्त हुआ है। which reads as under:

"That this House expressed lack of confi9dance int he Council of Ministers in the Haryana State".

This Motion was received in my office at 13.30 hours on 1st April, 1982. At first I could not make up whether it was a 1st April joke or was a serious thing. Anyway I have had the Motion throughly examined and have myself devoted condiderable thought in arriviang at the final decision. Under Rule 56 of the Rules of Preocedure and Conduct of Business, the motion of No confidence is normally admitted if it is in order and is supported by the requisite unner of members. It should be hbrought before the House for deicision and voting whithin a period of 10 days. Technically the Motion of No confidence recveived is in order and does not suffer from any

infirmity. I must howervf, point out that we have devoted that last almost three weeks to the discussion on the Governor's address, the Budget, Appropriation Bills and other items. The Opposition has ha dfull opportunites to vote the Govt. down. since the conclusion of the dicussion on the Budget, I do not fing that any new factors have come to light which necessitate the Motion of No confidence against the Govt. and therefore, in all fairness, it apprears to me to be some what of a dilatory tactics.

However, in order to be totally, impartial and to give the hon'ble Members of the Opposiion every opportunity to express their views and exercise therir right in a democrate set up, I admit the motion of No confidence.

Now I will request those members who are in favour of leave being granted to the Motion of No confidence to please rise in their places.

(At this stage all the members of the Opposition rose in their seats)

Mr. Speaker: As more than 18 members have risen, the leave is granted. I allot a time of two hours for its discussion at the conclusion of to day's business.

Dr. Mangal Sein: Why not just now, Sir?

Mr. Speaker: Please listen to my ruling first, I have admitted the Motion and allotted a time of two hours for its discussion at the conclusion of today's business. SAomemembers may feel that the time of two hours is perhaps a bit little but I would against stress that full opportunities

have been given to the members to express their views during the discussion on the Governor's address and the budget and in two or three days that have elapsed since the conclusion of the debated ont he Budget no new known facts have come to ligh which necessitate and extensive debate.

डा. मंगल सैनः स्पीकर साहब, एक मो ान आपके खिलाफ भी दियार हुआ है।

Mr. Speaker: Yes, I have received that Motion. Since it is agiant me, I have referred it to the Deputy Speaker. He will give decision on that.

नेमिंग आफ मैंबर्ज

Mr. Speaker: Hon. Memebrs I wish to say one thing more. Upto now many of you have been waving the newspapers. Today, I take this opportunity to wave a newspaer on all of you. I was pained (only thing I can say) to read int he Tribune this morning regarding yesterday's proceedings of the House. First of all, the claim of the Leader of the Opposition. Shri Mool Chand Jain that gaging their mouths and standing with their backs to the Chair was a Gandhian way of protest. I consider that this is not justified in any way. I am sure if Gandhi Jee was to listen to it in his grave, he would turn at the sight of the Hob'ble Members heaping such insult on the Chair. (Interruptions)

(This stage some members of the Opposi9tion rose in their seats to speak)

Mr. Speaker: If anybody rises in his seat when I am on my legs, I will have to name him. (Interruptions) I would request the hob'ble Members to let me complete my observations first.

(At this stage Shri Mool Chand Jain rose to speak)

Mr. Speaker: Babu Jee, please sit down.

Shri Mool Chand Jain: Speaker Sabib.....

Mr. Speaker: You kindly take your seat.

Shri Mool Chand Jain: Mr. Speaker.....

Mr. Speaker: I name Shri Mool Chand Jain. (Interruptions) Babu Jee pleae leave the House.

(The hon. Member did not withdraw from the House)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House.

(At this stage the Sergeant at Arms went to Shri Mool Chand Jain. But several other members of the opposition surrounded Shri Mool Chand Jain and prevented the Sergeant at arms from executing the orders of the Chair)

डा. मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय,.....(ाोर)

Mr. Speaker: Dr. Sahib please take your seat, I am stillonmy legs.

डा. मंगल सैनः अध्यक्ष महोदय, आप कृपया मेरी बात तो सुन लें।

Mr. Speaker: I name Dr. Mangal Sein. (Interruptions)

(Dr. Mangal Seing also did not withdraw from the house and there was great noise and turmoil in the House)

बैठक का स्थान

Mr. Speaker: I adjourn the House for 15 minutes.

(The Sabha then adjouned and reasembled at 10.52 a.m. when Sarvshri Mool Chand Jain and Mangal Sein, who had been named earlier, were present in the House and the Members of the Opposition continued raising stogans and creating noisy scenes)

Mr. Speaker: I adjourn the House for an hour. The galleries be got vacated.

(The Sabha then adjourned and re assembled at 11-53 a.m. when Sarvshri Mool Chand Jain and Mangal Sein were presnet in the House)

सर्वश्री मूलचंद जैन तथा मंगल सैन का निलम्बन

Mr. Speaker: I would one agian appeal to Babu Mool Chand jain and Dr. Mangal Sein to follow the directions of the Chair. (Noises and interruptions).....

At this stage Shrimati Sushma Sawraj, a member from the opposition side rose to speak)

Mr. Speaker: I would apppearl them once again to follow the directions of the Chair. However, if they are prepared to express their regrets, I can accept their regrets.

Shri Mool Chand Jain: The Speaker should express his regret.

Dr. Mangal Sein: We have not committed anything wrong. We have not done any diisrespect to the Chair. Today you are totally partial. (Noise and interruptions)

Mr. Speaker: I strongly condemn the behaviour of the two senior members. (Noises and interruptions)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज रामनोमी का दिन है ओर यह बहुत भाुभ दिन है। इसलियें मैं उम्मीद करता थरा कि हाउस की कार्यवही बहुत अच्छे तरीके से और मर्यादा के साथ चलेगी। लेकिन बहुत दुख के साथ यह बात कहनी पड़ती है कि मानीय सदस्य खास कर बाबू मूल चंद जैन और डा0 मंगल सैन जेसे व्यक्ति जोकि बहुत ही पुराने पार्लियामैंटरियन है ओर मै ंयह भी कहना हूं कि से भी सीनियर है और इन्होंने बहुत ही गलत बातें की है। इन महानुभवों का रवैया देख कर डैमोक्रेसी नाम की दुनिया मे कोइ चीज नही रही। इन्होंने चेयर के बार बार कहने पर भी चेयर पर इल्जाम लगाए। (ाोर व विघ्न)

चौधरी गंगा रामः जब मुझे 10 दिन के लिये हाउस से निकाला था उस समय डैमोक्रेसी कहां गई थी ? (ाोर व व्यवधान)

चौधरी भजन लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा अब भी सदन से प्रार्थना करना चाहात हूं और खास कर अपोजी ान के सीनियर मैंबर्ज से प्रार्थना करूंगा कि हाउस को गरिमा को कायम रखे और हरियाणा प्रदे ा की जनता के हित मे इनको

चाहिये कि ये चेयरम की कद्र करेक और हाउस की कार्यवाही ठीक ढंग से चलने दे। (ाोर व विघ्न)

श्री मूल चंद जैनः * * * * * *

*(ाोर व विघ्न)

चौधरी भजन लालः जैन साहब, यदि मैं आपकी सभी बातें बताने लग जाऊंगा तो आपको मुंह दिखाने को जगह नही मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना कर रहा था कि आज रामनौमी का दिन था, आज के दिन इस विधान सभा का आखिर सै ान था, पता नही इसमे से दोबारा कौन आयेगा कौन नही आयेगा ? (ाोर व विघ्न)

श्री वीरेन्द्र सिंहः यह भी कहां पता कि आप मे से कौन आयेगा ? (ाोर व विघ्न)

चौधरी भजन लालः आप मेहरबानी करके सुनने की कृपा करें। मैं सभी के लिये कहता हूं कि पता नही सभी सदस्यों मे से दोबारा कौन आयेगा और कौन हनी आयेगा ? अध्यक्ष महोदय मैं आपके द्वारा सारे सदन से प्रार्थना करता हूं कि हमें आत के आखिरी सै ान को बड़ी संजीदगी के साथ, प्रेम के साथ और प्यार के साथ खत्म करना चाहिए ताकि जब हम दोबार मिले तो बड़े प्यार से मिले। इसलिये मैं एक बार फिर सारे सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि हाउस की कार्यवाही ठीक ढंग से चलने दे।

जैसे स्पीकर साहब, ने अपनी की है उसे आपको महसूस करना चाहिए और चेयर की इज्जत करनी चाहिए।

Mr. Speaker: I greatly appreciate the appreal made bny the bon'ble leader of the House. इन जैसे तजूर्बेकार पालिटीि ायन से मैं ऐसी ही उम्मीद कर सकता हूं। Again I strongly condemn the behaviour of Babu Mool Chand Jain and Dr. Mangal Sein. But I consider it below my dignity to enage myself in such controversies. Therefore, Dr. Mangal Seing and Babu Mool Chand Jain will be considered to be suspended from the service of the House for today and the business of the House will continue.

(Shrvshri Mool Chand Jain and Mangal Sein did not withdraw drom the House and the members of the opposition continued raising slogans and creating noisy scenes)

ध्यानाकर्शण सूचना

श्री अध्यक्षः निजी गन्ना क ारों आदि मे गन्ने की कम कीमत संबंधी ध्यानारकर्शण प्रस्ताव सं0 58 की सूचना श्री मूल चंद जैन ने दी थी, लेकिन उसको टेक अप नही किया जा रहा है क्योंकि माननीय सदस्य को हाउस की सर्विस से आज के लिये सस्पैंड किया जा चुका है।

वक्तव्य

मुख्य मंत्री द्वारा जिला महेन्द्रगढ तथा रोहतक की कोसली तहसील के बहुत ज्यादा पिछड़ेपन तथा गरीबी की हालत होने संबंधी

श्री अध्यक्षः 31 मार्च, 1982 को मुख्य मंत्री जी ने राव राम नारायण के *काल अटैन ान मो ान पर आज स्टेटमैंट देने के लिये कहा था। वह अब स्टेटमैंट दे सकते है। (ाोर व विघ्न)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, राज्य मे पिछड़े हुए क्षेत्रों के पिछड़ेपन की समस्याक ो पभाव ाली रूप से दूर करने के वियार से राज्य सरकार ने इन क्षेत्रों पनर वि ोश ध्यान देते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाये है। सम्माननीय सस्दय द्वारा दिये गये सुझावों के संबंध मे मैं प्रत्येक सुझाव के बारे मे अलग अलग रूप से बताना चाहूंगा और इन विशयों पर सरकार द्वारा उठाये गये एवं उठाये जाने वाले पगों के बारे मे स्थिति स्पश्ट करूंगा।

(i) मेवाल विकास मंण्डल उस क्षेत्र के विकास गति को तीव्र करने हेतु गठित किया गया है और इसके राज्य की साधारण योजना स्कीमों से अधिक धनरा ि ा राज्य के अपने साधनों से ही निवे ि ात की गई है। इसी प्रकार महेन्द्रगढ़ तथा रोहतक जिलो के पूर्ण विकास को सुनि ि ाचत करने के लिये आव यक कदम उठाये गये है। सूखाग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम को वर्श 1974–75 से

महेन्द्रगढ़ जिले की महेन्द्रगढ़ तथा नारनौल उपमण्डलों मे एंव रोहतक जिले की कोसली तहसील के क्षेत्र मे चलाया जा रहा हैं हमारे निरंतर प्रयत्नों से भारत सरकार ने रिवाड़ी उप मण्डल को भी सुखाग्रस्त क्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत चालू वितीय वर्श मे सम्मिलित करने हेतू सहमति दे दी हैं इस कार्यकम के अंतर्गम लघु सिंचाई, भू सरंक्षण बनारोपण, प ुपालन, दुग्ध विकास तथा समाज के कमजोर वर्गो के लिये सहायक धंधो संबंधी योजनायें चालू की गई है। इस क्षेत्र मे सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करने के लिये जवाहर लाल नेहरू लिफट ईरीगे ान स्कीम चालू की गई है। इस क्षेत्र को सिंचाई योग्य बनाने के अिलये कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राजैक्ट भी कार्यान्वित किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकम के अधीन, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उउकी आमदनी बढ़ाने के लिये धंधे अपनाने के लिये अनुदान एंव ऋण की सहायता दी जाती है। हाल ही मे महेन्द्रगढ़ जिले मे ''क्षेत्रीय विकास मे सामाजिक साधन'' नामक 1086 लाख रूपये की एक परियोजना का प्रारूप युनिसिफ को वितीय सहायता प्राप्त करने के लिये भेजा गया है। इस परियोजना मे 3 वर्श की अवधि मे पीने का पानी सफाई और स्त्रियों तथा बच्चों के पौश्टिक आहार आदि की स्कीम सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त वि व खाद्य कार्यकम के अंतर्गत महेन्द्रगढ़ जिले मे विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये कुछ करोड़ रूपये की एक परियोजना निर्माणाधीन है।

महेन्द्रगंझ जिले मे विभिन्न विकासी ा सकीमों को प्रभाव ाली रूप से तालमेल तथा लागू करने के लिये एक उच्चधिकृत समिति का कठन किया गया है ंइस खेत्र के तेज विकास के लिये और भी सकीमें बनाने के लिये सभी विकास विभागों को कहा गया है और इस कार्य के लिये वर्किग ग्रुप का गठन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, कोसली की ओर सूखाग्रस्त क्षेत्रीय कार्यकम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यकम, कमाण्ड क्षेत्रीय विकास कार्यकम तथा मरूस्थल विकास कार्यकम के अंतर्गत वि ोश ध्यान दिया जा रहा है।

(ii) रिवाड़ी मे इंजीनियरिंग महा विद्यालय तथा विधि महाविद्यालय खोलने के बारे मे यह स्पश्ट किया जाता है कि इस राज्य मे रीजनल इंजीरियरिंग कालिज कुरूक्षेत्र ही एक मात्र स्नातक स्तर का रीजनल इंजीनियरिंग कालिज है जिसे राजकीय तथा केंद्रीय सरकारों द्वारा सांझे रूप मे नियत्रित किया जाता है। हरियाणा के उम्मीदवारों के लिये उपलब्ध 295 सीटों (स्नातक स्तर की 250 तााि स्नातक स्तर से ऊपर की 45 सीटें) मे से 50 प्रति ात सीटें आरक्षित है। राज्य सरकार के पूर्ण नियंत्रण मे एक अन्य स्नातक स्तर के इंजीनियरिंग कालिज की आव यकता अनुभव की गई हैं तकनीकी ि ाक्षा के लिये भारतीय कोंसिल की उत्तरीय क्षेत्रीय कमेटी को एक नया इंजीनियरिंग कालेज खोलने के लिये पहले ही एक प्रस्ताव भेजा गया है क्योंकि नया संस्थान

खोलने के लिये इसका अनुमोदन आव यक है। यह आ ाा की जाती है कि क्षेत्रीय कमेटी एक वि ोशज्ञ कमेटी का गठन करेगी जो प्रस्ताव के संबंध मे कोंसिल को अपनी सिफारि ें भैजेगी। योजना आयोग ने वर्श 1982–82 के लिये हरियाणा मे एक स्नातक स्तर के कालिज के लिये 25000 रूपये का सांकेतिक प्रावधान करने की कसहमति दे दी है। प्रस्तावित इंजीनियरिंग कालिज के स्थान के बारे मे कोई निर्णय नही लिया गया है। कोंसिल ने नये संस्थान की जगह के लिये निम्नलिखित कसौटी निर्धारित की हैः–

''नया संस्थान या तो उच्च रोजगार तत्वों वाले क्षेत्रों मे या आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रो मे या समुदाय के कमजोर वर्गो को उन्नति के लिये स्थापित किया जाना चाहिए।

कौंसिल द्वारा निर्धारित की गई कसौटी की रो ानी मे जगह का निर्णय करते समय महेन्द्रगढ़ जिले के दसववे को ध्यान मे रखा जायेगा।

विधि महाविद्यालय सामान्यतः वि ववविद्यालय कैम्पस मे होते है ओर करूक्षेत्र वि ववविद्यालय कुरूक्षेत्र तथा महार्शि दयानंद वि ववविद्यालय रोहतक मे विधि संकाय है। अतः इस मांग को पूरा करना फिलहाल सम्भव नही है।

(iii) जहां तक अटेली मे मे पालिटैक्निक संस्थान खोलने का प्र न है मैं उल्लेख करूंगा कि इस समय 6 सरकारी पालिटैक्निक संस्थान पालैटेक्निक संस्थान अम्बाला, नीलोखेड़ी,

झज्जर, सिरसा, सोनीपत, तथा रोहतक मे स्थित है। इन सभी संस्थानों मे 1270 सीटे है। राज्य के पालिटैक्नीक संस्थानों मे 6 प्रति ात सथान राज्य के पिछड़े क्षेत्र मे रहने वालों के लिये आरक्षित है। महेन्द्रगढ़ जिले मे रहने वाले लोगों को इस आरक्षण के अतिरिक्त खुली सीटें भी उपलब्ध है। निकटवर्ती झज्जर तथा रोहतक मे स्थित संस्थानों मे भली ये लोग आसानी से जा सकते है। फिर भी, जिस समय कोई नया संस्थान खोला जायेगा महेन्द्रगढ़ जिले के दावे को भी अखिल भारतीय तकनीकी ि ाक्षा कोंसिल द्वारा निर्धारित कसोटी पर विचारा जायेगा। कोंसिल की अनुमति नया तकनीकी संस्थान खोलने के लिये आव यक है।

(iv) रिवाड़ी मे स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान के लिये क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने के संबंध मे यह उल्लेख किया जाता है कि हमारे यहां कुरूक्षेत्र तथा रोहतक मे 2 वि वविद्यालयों के अतिरिक्त 5 राजकीय महा विद्यालय तथा 9 अराजकी महाविद्यालयों मे विभिन्न विशयों मे स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध है। महेन्द्रगढ़ जिले के राजीकय महा विद्यालय नारनौल मे भूगोल तथा भूगर्भ विज्ञान विशयों मे तथा राजकीय महाविद्यालय, महेन्द्रगढ़ मे हिन्दी विशय मे स्नातकोत्तर अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध है। राव वीरेंद्र सिंह ि ाक्षण महाविद्यालय रिवाड़ी मे एम0 एड0 की कक्षाएं चल रही है। इस यदि कोई स्थानीय महाविद्यालय स्नातकोततर अध्ययन की सुविधाएं कुछ ही उप मण्डलीय नगरों मे उपलब्ध है। फिर भी यदि कोई स्थानिय

महाविद्यालय स्नातकोत्तर कक्षाएं चलाने का इच्छुक हो, जिसके लिये पर्याप्त मांग हो, तो संबंधित वि ववविद्यालय कक्षाएं चलाने का इच्छुक हो? जिसके लिये पर्याप्त मांग हो, तो संबंधित वि ववविद्यालय द्वारा उसकी प्रार्थना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

(v) कोसली मे सैनिक स्कूल खोलने के बारे मे यह कहना है कि सैनिक स्कूलों की स्थापना व उसका संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

राज्य सरकार के पास सैनिक स्कूलों की स्थापना के संबध मे 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमे यह मांग की गई थी कि बेरी (दुजाना), तहसील झज्जर अथवा कोसली जिला रोहतक या सांवड जिला विभानी मे सैनिंक स्कूल खोले जाये। अभी तक अतिम निर्णय नही लिया गया है कि उपरोक्त तीन स्थानों मे से किस स्थान पर राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल खोला जायेगा। लेकिन रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से यह मामला उठाया गया है कि वे राज्य मे दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना के बारे मे स्वीकृति दे। साथ ही स्कूल के निर्माण के लिये भूमि की उपलब्धि व अभिग्रहण के बारे भी छानबीन की जा रही है।

(vi) रिवाड़ी मे सेना भर्ती के संबंध मे यह व्यक्त किया जाता है कि इस राज्य मे रोहतक, हिसार चरखी दादरी व अम्बाला मे 4 सैनिक भर्ती केन्द्र कार्यरत है। समय समय पर राज्य सरकार

को यह मांग प्राप्त हुई है कि रिवाड़ी मे भी भर्ती केन्द्र खोला जाये। 23 अक्तूबर 1980 को रिवाड़ी मे हुए जिला महेन्द्रगढ़ के भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन के अवसर आ वासन दिया था कि इस बारे रक्षा मंत्रालय भारत सरकार से मामला उठाया जायेगा और यह अनुरोध किया जायेगा कि इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये। तदनुसार इस बारे मे भारत सरकार को 26.2. 81 को लिखा गया और उसके प चात यह मामला लगातार भारत सरकार से उठाया जा रहा है। इस बारे मे दिनांक 15 फरवरी 1982 को मैंने केन्द्रीय राजय रक्षा मंत्री को एक अथ सरकारी पत्र लिख कर अनुरोध किया है कि गुड़गांव अथवा रिवाड़ी मे भीध्र ही भर्ती केन्द्र खोला जाये। मैं सदस्य महोदय को वि वास दिलाता हूं कि इस बारे मे हमारे प्रयत्नों मे कोई ढील नही होगी।

(vii) नारनौल मे एक कृशि महा विद्यालय के संबंध मे यह कहा जाता है कि इस समय कृशि महाविद्यालय हिसार हरियाणा राज्य के लोगों की कृशि संबंधी आव यकता पूरी करता है। इस समय हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय प्रत्येक वर्श लगभग 200 कृशि स्नातक तैयार करता है। कुशि वि ववविद्यालय द्वारा प्रि ाक्षित किये जा रहे इन 200 स्नातकों मे से लगभग 50 प्रति ात उच्चतम ि ाक्षा के लिये जाते है। यह महसूस किया गया है कि कृशि महाविद्यालय हिसार अपने वाले वर्शो मे कृशि विभाग, विभिन्न निगमों और बैंकों की आव यकताओं को पूरा करने मे अपर्याप्त होगा। अतः राज्य सरकार ने कौल स्थित कृशि

महाविद्यालय का स्तर पूर्णतः बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह समझा गया है कि हिसार तथा उच्च स्तरीय बन जाने पर कौल स्थित महाविद्यालय हरियाणा राज्य के कृशि स्नातकों की बढ़ती हुई आव यकताओं को पूर्ति करने मे समर्थ होंगे। अतः फिलहाल नारनौल मे एक अन्य कृशि महाविद्यालय खोलना आव यक नही होगा।

(viii) इस क्षेत्र मे बड़े उद्योग लगाने के बारे मे यह कहना है कि सरकार विभिन्न प्रोत्साहन तथा सुविधाएं दे कर उद्योग लगाने मे सहायता करती है। समस्य महेन्द्रगढ़ जिला केन्द्रीय अधिसूचित पिछड़ा क्षेत्र घोशित किया गया है और इस क्षेत्र मे उद्योग लगाने पर कई लाभ दिये जाते है जैसे कि नियत पूंजी निवे ा जिसकी सीमा 15 लाख हो पर 15 प्रति ात नकद अनुदान, आयकर मे छूअ तथा रियायती वित्त। इस क्षेत्र मे स्थापित लघु उद्योग थोड़ी सिक्योरिटी पर ऋण प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार इस पिछड़े क्षेत्र मे एक करोड़ की धन रा ि ा तक के उद्योग को भी कई प्रकार के प्रात्साहन देती है। इस प्रात्साहनों मे 7 वर्श के लिये अंतर्राज्यीय बिक्री कर के स्थान पर बिन ब्याज ऋण 7 वर्श के लिये छूट 3 वर्श के लिये चुंगी भाुल्क से छूट और लघू उद्योग के उत्पादन की सरकार खरीद के मूल्य पर 15 प्रति ात तथा बड़े और दरम्याने उद्योगों के उत्पादन पर 5 प्रति ात की प्राईस प्रैफैरंस (मूल्य प्राथमिकता) सम्मिलित है। यद्यपि रोहतक जिलाको कोसली तहसील को पिछड़ा क्षेत्र घोशित

नही किया है और केन्द्रीय निवे ित स्कीमों के अंतर्गत लाभ उपलब्ध नही है तो भी राज्य सरकार के सामान्य लाभ जहां उपलब्ध है। इस क्षेत्र मे औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिये कोसली मे औद्योगिक विकास कालोनी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

महेन्द्रगढ़ जिला मे धारूहेड़ा मे एक बड़ा औद्योगिक कम्पलैक्स पहले ही राज्य सरकारने स्थापित किया है जहां बहुत से बड़े तथा दरम्याने उद्योग स्थापित किये गये है। वास्तव मे महेन्द्रगढ़ जिला मे 12 बड़े तथा दरम्याने उद्योग स्थापित किये गये है। और 1859 छोटे उद्योग लगाये गये है जिनमे ग्रामीण उद्योग स्कीम के तहत 740 ईकाईयां भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र मे 20 से अधिक बड़े ताा माध्यम ईकाईयां कार्यन्वयन के विभिन्न स्तरों पर है।

राज्य सरकार ने न्यूक्लियस काम्पलैक्सिज तथा एनसलरीज के विकास के नमूने पर महेन्द्रगढ़ जिले का प्लान भी तैया किया है। भारत सरकार न राज्य के तीन केन्द्रीय अधिसूचित पिछड़े जिलेय, जिसमे महेन्द्रगढ़ भा भाामिल है। के औद्याोगिक विकास के लिये एक टास्क फोर्स सितम्बर, 1981 मे बनाई थी। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है और इस क्षेत्र मे बहुत से बड़े उद्योगो की स्थापना हेतु पहवान की है। यह आ ाा की जाती है कि भारत सरकार इस रिपोर्ट की सिफारि ाों के विभिन्न लाइसैंस आदि देते समय ध्यान रखे।

जहां तक 80 प्रति ात मजदूरों की भर्ती का संबंध है अकु ाल मजदूर ज्यादातर स्थानीय क्षेत्र से ही भर्ती किये जाते है किन्तु अर्थ कु ाल/कु ान मजदूरों को जहां भी वे उपलब्ध हो भर्ती करना पड़ता है।

(ix) जहां तक राज्य सरकार के कुछ कार्यालय इस क्षेत्र मे खोलने का प्र न है, मै सदन को यह बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के सभी प्रस्तावों पर पृथक रूप से गुण व दोश के आधार पर निर्णय लिया जाता है ओर मुख्य उदे य यह होता है कि क्या राज्य सरकार ने किसी कार्यालय को राज्य मुख्याल य से हटाकर सिकी अन्य स्थान पर स्थापित करने से उक्त कार्यालय की क्षमता बढ़ेगी। इसी आधार को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा मिनरल्स लिमिटिड का मुख्यालय नारनौल मे स्थानांतरित किया था क्योंकि ऐसा महसूस किया गया था कि चूंकि खनिज पदार्थो की मुख्य खाने जिला महेंद्रगढ मे ही स्थित है। इस लिय इस संस्था का मुख्यालय नारनौल मे स्थापित करने से अव य ही इस संस्था की कार्यकु ालता मे सुधार होगा।

इस क्षेत्र मे केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को खोलने के विशय बारे राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नही की ता सकती क्योंकि यह विशय केन्दीय सरकार की ही है। फिर भी अगर इस संबध मे कें द्रीय सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त होगा तो राज्य सरकार उसका स्वागत करेगी और राज्य सरकार हर सम्भव सहयोग देगी।

इन तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए मैं सदन को वि वास दिलाता हूं कि हम पिछड़े क्षेत्रों की आव यकताओं की पूर्ति प्रार्थमिकता के आधार पर पूर्ण करने कार भरसक प्रयत्न करेंगे।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब एक मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव पे ा करेंगे। (ाोर)

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

आज के लिये नि चत की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आत ही बैठक मे अनि चत काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाये। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

आज के लिये नि चत की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आत ही बैठक मे अनि चत काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाये। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

आज के लिये नि चत की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आत ही बैठक मे अनि चत काल तक नियम सभा की बैठकों के उपबंधों से मुक्त किया जाये। (ाोर एवं विघ्न)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्षः अब मंत्री 16 के अधीन प्रस्ताव पे ा करेंगे। (ाोर व विघ्न)

वित्त मंत्री (चौधरी खुर ाीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनि चत काल के लिये स्थागित रहेगी। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि–

सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनि चत काल के लिये स्थागित रहेगी। (ाोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः प्र न है कि–

सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनि चत काल के लिये स्थागित रहेगी। (ाोर एवं विघ्न)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिल्ज

(i) दि ईस्ट पंजाब मोलैसिज (कंट्रोल) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1982

Finance Minister (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I get to move—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Question is—

That the East Punjab Molasses (Control) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 & 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minsiter (Chaudhri Khurshid Ahmed): sir, I beg to move—

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Qusestion is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(ii) दि पंजाब पैसेजर्ज एण्ड गुडज टैक्से ान (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल,त्र 1982।

Finance Minsiter (Chaudhri Khurshid Ahmed): sir, I abeg to move—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Qusestion is—

That the Punjab Passengers and Goods Taxation (Haryana Amendment) bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 & 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minsiter (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move—

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Qusestion is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iii) दि हरियाण एफिलिएटिड कालेजिज (सिक्योरिटी आफ सर्विस) अमैंडमैंट बिल, 1982

Finance Minsiter (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I introduce the Haryana Affilated Colleges (Securiy of Service) Amendment Bill, 1982.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Affilated Colleges (Securiy of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Affilated Colleges (Securiy of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Qusestion is—

That the Haryana Affilated Colleges (Securiy of Service) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Clauses 2 to 6 & 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 to 6 & 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minsiter (Chaudhri Khurshid Ahmed): sir, I beg to move—

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Qusestion is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि हरियाणा प्राईवेट कालेजिज (टेकिंग ओवर आफ मैनेजमैंट) अमैंडमैंट बिल, 1982

Finance Minsiter (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I introduce the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill, 1982.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Qusestion is—

Private Colleges (Taking over of Management) Amendment Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 & 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minsiter (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move—

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Qusestion is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

(iv) दि पंजाब लैंड रैवन्यू (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1982

Finance Minsiter (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move—

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Qusestion is—

That the Punjab Land Revenue (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Speaker: Now the House will consider the Bill clause by clause.

Clauses 2 & 1

Mr. Speaker: Question is—

That Clauses 2 & 1 stands part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker: Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Finance Minsiter (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I beg to move—

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker: Qusestion is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

सरकारी संकल्प

हरियाणा राज्य मे भूमि को संसद द्वाररा पारित संपदा भुल्क अधिनियम, 1953 (ि1953 का 34) द्वारा विनियमित किये जाने संबंधी

Mr. Speaker: Now a Minister will move the Official resolution.

Minister for Parliamentary Affairs and Finance (Chaudhri Khurshid Ahmed): Sir, I bet to move—

"Whereas by resultuion passed by this Assembly in pursuance of clause (1) of Article 252 of the consitution, estate duty in rspect of agricultural land is now regulated in the State of Haryana by the Estate Duty Act, 1953 (34 to 1953), passed by parliament;

AND WHEREAS is appears to this Assembly to be desirable that the matters set out below in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural land should be regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the aforsaid Act should be amended;

(i) Raising of the examption limit for estate duty from Rs. 50000 to Rs 150000 and providing for

the rate of estate duty at 10 % of the first slab of estate range of Rs. 150001 to Rs 200000;

(ii) providing that a member of a cooperative housing society to whom a building or part thereof is allotted or leased under a house building scheme of the society shall be deemed to be the ownber of the building or part thereof;

(iii) valueation of one residential house or part thereof belonging to the deasead would be made on the same basis as under th Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves in pursuance of Arcticle 252(2) of the Constitution, that the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be amended by Parliament to provided for the aforeasaid matters with effect from the 1st day of March, 1981."

(Noise and slogns from the opposition side)

Mr. Speaker: Motion moved—

"Whereas by resultuion passed by this Assembly in pursuance of clause (1) of Article 252 of the consitution, estate duty in rspect of agricultural land is now regulated in the State of Haryana by the Estate Duty Act, 1953 (34 to 1953), passed by parliament;

AND WHEREAS is appears to this Assembly to be desirable that the matters set out below in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural land should be

regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the aforsaid Act should be amended;

(i) Raising of the examption limit for estate duty from Rs. 50000 to Rs 150000 and providing for the rate of estate duty at 10 % of the first slab of estate range of Rs. 150001 to Rs 200000;

(ii) providing that a member of a cooperative housing society to whom a building or part thereof is allotted or leased under a house building scheme of the society shall be deemed to be the ownber of the building or part thereof;

(iii) valueation of one residential house or part thereof belonging to the deasead would be made on the same basis as under th Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves in pursuance of Arcticle 252(2) of the Constitution, that the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be amended by Parliament to provided for the aforeasaid matters with effect from the 1st day of March, 1981."

(Noise and slogns from the opposition side)

Mr. Speaker: Question is—

"Whereas by resultuion passed by this Assembly in pursuance of clause (1) of Article 252 of the consitution, estate duty in rspect of agricultural land is now regulated in the State of Haryana by the Estate Duty Act, 1953 (34 to 1953), passed by parliament;

AND WHEREAS is appears to this Assembly to be desirable that the matters set out below in so far as they relate to estate duty in respect of agricultural land should be regulated in the State by Parliament by law and for this purpose the aforsaid Act should be amended;

(iv) raising of the examption limit for estate duty from Rs. 50000 to Rs 150000 and providing for the rate of estate duty at 10 % of the first slab of estate range of Rs. 150001 to Rs 200000;

(v) providing that a member of a cooperative housing society to whom a building or part thereof is allotted or leased under a house building scheme of the society shall be deemed to be the ownber of the building or part thereof;

(vi) valueation of one residential house or part thereof belonging to the deasead would be made on the same basis as under th Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

NOW, THEREFORE, this Assembly hereby resolves in pursuance of Arcticle 252(2) of the Constitution, that the Estate Duty Act, 1953 (34 of 1953) may be amended by Parliament to provided for the aforeasaid matters with effect from the 1st day of March, 1981."

(Noise and slogns from the opposition side)

The motion was carried.

(At this stage, the Deputy Speaker occupied the Chair)

उपाध्यक्ष द्वारा रूलिंग

अध्यक्ष को उनके पद से हटाने से संकल्प संबंधी

Mr. Seputy Speaker: Sarvashri Mangal Sein, Raghu Nath Goyal, Mool Chand Mangal, Verender singh, jagdish Kumar Beniwal, Ram Lal Wadhwa, Kanwal Singh and Mool Chand Jain and other have given notice of a resolution for the mremoval of the Speaker from his office today, the 2nd April, 1982, just before the commencement of the sitting of the House.

As the motion was againt the Speaker himself, he considered it appopraite to refer it to me for taking a decision thereon and, as such, I have examined the matter throughly keeping in view the constitutional and legal aspects thereof. Before announcing the final decision, I would refer to the following provision of the Constitution of India—

"179 Vacation and Resignation of and removal from the offices of the Speaker.....A member holding offce as Speaker.....of any Assembly.....

(c) may be removed from his office by a resulution of the Assembly passed by a majority of all the then members of the Assembly;

Provided that no resolution for the purpose of clause (c) shall be moved unless at least fourteen days notice has been given of the intention to move the resolution....."

and rule that the notice is short of the period prescribed under the said provision of the Constitution, which is mandatory and cannot be subended by this house.

Besides, all the members of the Haryana Vidhan Sabha are fully aware that the House is to adjourn sine die today as per the decision taken by the House on the 31st March, 1982. If there was any intention to give such a notice these hon. Members hould have thought patiently and given the notice as prescribed unde rthe Constitution. In addition, the perusal of the notice shows that they ahve made very swweiping and general remarks which are baseless and unwirrented against the high office of the Speaker. It, therfore, appears that the matter hsa been tken very lightly. Hence, I do nto entertain the notice and disallow it.

(Noise and slogns from the opposition side)

नियम 84 के अधीन प्रस्तावों पर चर्चा

(i) हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) प्रथम सं ोधन विनियमन 1981

श्री उपध्यक्षः आनरेबल मैंबर्ज मुझे सर्वश्री रामलाल वधवार, मंगलसैन, जयनारयाण खुण्डिया, श्रीमती कमला वर्मा, देवी दास, बृज मोहन गुप्ता, ि ाव प्रसाद, र ाुनाथ गोयल, श्री भागमल, और मूलचंद मंगला एम0 एल0 एज0 की ओर से Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment, Regulations, 1981 को कंसिडर तथा डिसकस करने के लिये नोटिसिज प्राप्त हुए है। (ाोर व नारेबाजी) अब श्री राम लाल वधवा अपनी मो ान मूव करे। (ाोर व नारेबाजी) (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)। (ाोर व श्री अध्यक्ष के विरूद्ध नारेबाजी)

श्री अध्यक्षः मैंने पाकिस्तान के खिलाफ तीन लड़ाईयां लड़ी है। उस समय तो मैं भागा नही, अब क्या भागूंगा? (ाोर व नारेबाजी) अब जैसे नकली सिपाहियों से मैं क्या डरूंगा ? (ाोर व नारेबाजी)

नेमिंग आफ मैंबर

(At this stage, Ch. Ganga ram, a member of the Opposition was speaking at the pitch of his voice without permission and raising slogans)

श्री अध्यक्षः चौधरी गंगा राम जी, अपने आज सुबह लिखकर मुझे माफी नाम दिया है जिसकी विनाह पर आपको हाउस

अटैंड करने के लिये परमिट किया गया लेकिन आप फिर वैसी बाते कर रहे है। आप कृपा बैठिये।

(Chaudhri Ganga Ram did not resume his seat and continued speaking and raising slogans).

Mr. Speaker: I name Ch. Ganga Ram. He is not longer Memebrs of the Hosue for today's sitting. (Noise and slogans)

नियम 84 के अधीन प्रस्तावों पर चर्चा (पुनरारम्भ)

(i) हरियाणा लोक सेवा आयोग (आयोग कृत्यों का परिसीमन) प्रथम सं ाोधन विनियमन, 1981 (पुनरारम्भ)।

Mr. Speaker: The hon'bel Member is not moving his motion, therefore, it is not moved. (Noise and slogans)

(ii) हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटिड की छठी वार्शिक रिपोर्ट तथा 1979–80 के लेखे।

Mr. Speaker: The next motion is from Ch. Ram Lal Wadhwa and ten other members regarding the discissionon the 6th Annual Report and Accounts 1979-80 of the Haryana Seets Development Corporation Ltd. Ch. Ram Lal Wadhwa may please move his motion. (Noise and slogans)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। (ाोर व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: आ हरियाणा सीड कार्पोरे ान के बारे मे ही बोल सकते है। (ाोर व नारेबाजी)

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। आज के दिन जो कुछ हुआ है ओर जो ज्यादती हमारे साथ हो रही है उसके बारे मे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। (ाोर व नारेबाजी)

Mr. Speaker: the hob'ble Member is not moving his motion, therefore, it is not move. (Noise and slogans)

(iii) हरियाणा कृशि वि ववविद्यालय, हिसार की वर्श 1979–80 की वार्शिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट।

Mr. Speaker: The next motion is from Shri Ajit Somgj and nine other Members regarding the discussion on the Anjual Audit Report of the Haryana Agricultural University, Hissar, for the year 1979-80. Shri Ajit Singh may please move his motion (noise and slogans)

The hob'ble member is not moving his motion, therefore, it not moved. (Noise and slogans)

(iv) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्श 1981–82 के वार्शिक वित्त विवरण तथा वर्श 1980–81 के परि ाोधित अनुमान (बजट अनुमानों)

Mr. Speaker: The next motion is from Ch. Ram Lal Wadhwa regarding the discission on the Annual Financial Statement for the year 1981-82 and Revised Estimates (Budget

Estimates) for the year 1980-81 of the Haryana State Electricity Board. He may please move his motion. (Noise and slogans)

The hob'ble member is not moving his motion, therefore, it not moved. (Noise and slogans)

(v) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड के वर्श 1977–78 के लेखो के वार्शिक विवरण।

Mr. Speaker: The next motion is from Ch. Ram Lal Wadhwa and ten other members regarding the discission on the Annual Statement of Accounts for the year 1977-78 of the Haryana State Electricity Board. Ch. Ram Lal Wadhwa May move the motion. (Noise and slogans)

The hon'ble member is not moving his motion, therefore, it not moved. (Noise and slogans)

(vi) वर्श 1978–79 के लिये हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की प्र ाासन रिपोर्ट।

Mr. Speaker: The next motion is from Ch. Ram Lal Wadhwa and eleven other members regarding the discission on the Administration Report of the Haryana State Elecricity Board for the year 1978-79. Ch. Ram Lal Wadhwa may move the motion. (Noise & slogans)

The hon'ble member is not moving his motion, therefore, it not moved. (Noise and slogans)

(vii) 31–1–82 तक हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण जिनकी वापस अदायगी के लिये रामय सरकार ने गारंटी ली है, को द ार्शाने वाला विवरण।

Mr. Speaker: The next motion is from Ch. Ram Lal Wadhwa regarding the discission on the Statement showing the loan raised by the Haryana State Electricitiy Board upto 31-1-82 from which the State Government have stood guarantee for repayment thereof. He may please move his motion (Noise and slogans)

The hon'ble member is not moving his motion, therefore, it not moved. (Noise and slogans)

मंत्रिमण्डल के वियद्ध अवि वास प्रस्ताव (अप्रस्तुत)

श्री अध्यक्षः अब सरकार के विरूद्ध आई नो कांफिडैंस मोशन पर डिसक ान होगी। डा0 मंगल सैन और बाबू मूलचंद जेन चूंकि सस्पैंड है इसलिये श्रीमती सुशमा स्वराज कृपया मो ान मूव करे। (ाोर व नारेबाजी)

(किसी सदस्य ने मो ान मूव नही की और भाोर तााि नारेबाती करते हुए विरोधी दल के सभी सदस्य अपनी आंखों पर पटटी बांध कर बैठे रहे।)

***12.15 बजे**

श्री अध्यक्षः किसी भी सदस्य ने मो ान मूव नही की है। अब चूकिं हाउस के सामने कोई और बिजनैस नही है इसलिये मैं हाउस को साईने डाई ऐडजर्न करता हूं।,

(तत्प चान सदन साईने डाई *ऐडजर्न हुआ।)